इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014—आषाढ़ 20, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2014

क्र. ई.-5-862-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री सिबी चक्रवर्ती एम., आयएएस., कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 23 जून 2014 से 7 जुलाई 2014 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 21 एवं 22 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. की अवकाश अवधि में श्री पी. के. श्रीवास्तव, राप्रसे अपर कलेक्टर, भिण्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सिबी चक्रवती एम. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

क्र. ई. 5-880-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री मोहनलाल मीणा, आयएएस., कलेक्टर, जिला सतना को दिनांक 23 जून से 28 जून 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21, 22 जून 2014 एवं 29 जून 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री मोहनलाल मीणा की अवकाश अवधि में श्री अभिजीत अग्रवाल, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला सतना का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मोहनलाल मीणा को अस्थायी रुप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मोहनलाल मीणा द्वारा कलेक्टर, जिला सतना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिजीत अग्रवाल कलेक्टर, जिला सतना के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मोहनलाल मीणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहनलाल मीणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2014

क्र. ई.-5-880-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री मोहनलाल मीणा, आयएएस., कलेक्टर, जिला सतना को समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2014 द्वारा दिनांक 29 मई 2014 से 7 जून 2014 तक दस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 मई 2014 से 4 जून 2014 तक सात दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जून 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 5 जून 2014

क्र. ई.-5-817-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री राहुल जैन, आएएएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2014 द्वारा दिनांक 20 जून 2014 से 28 जून 2014 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 16 जून से 20 जून 2014 तक पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 जून 2014 एवं 21, 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 20 जून 2014

क्र. ई.-5-817-आयएएस-लीव-5-एक .—(1) श्री राहुल जैन, आएएएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जून 2014 द्वारा दिनांक 16 जून 2014 से 20 जून 2014 तक पांच दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश, दिनांक 14, 15 जून 2014 एवं 21, 22 जून 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 19 जून 2014

क्र. एफ 13-06-2010-एक-4.— श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 29 मई 2014 से 31 मई 2014 तक (तीन दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार मिश्र, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. चौहान, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2014

क्र. एफ-8-2-2014-पचास-1.—विभागीय अधिसूचना एफ 8-5-2011-पचास-1, दिनांक 16 मई 2011 द्वारा श्रीमती सुधा जैन, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम नियुक्त किया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 द्वारा निगम/मंडलों/प्राधिकरणों/समितियों/परिषदों में किये गये मनोनयन/नियुक्तियां समाप्त कर दी गई है. पुनः मनोनयन/नियुक्ति होने तक राज्य शासन एतद्द्वारा मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का कार्यभार मान. मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास को सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2014

क्र. एफ-22-14-2000-ई-चार.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 अगस्त 2013 में संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) (संशोधित अधिनियम, 2000) की धारा-10 बी के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एच. एस. गिल, तत्कालीन रीजनल चीफ (क्षेत्रीय प्रमुख) हुडको लिमिटेड, भोपाल के स्थान पर श्री व्हीटी सुब्रमनियन, रीजनल चीफ (क्षेत्रीय प्रमुख) हुडको लिमिटेड, भोपाल को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु तत्काल प्रभाव से नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2014

क्र. एफ-06-सौलह-2002-तीन-जेल.—जेल प्रिजन्स एक्ट, 1894 की धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीलम पार्क एवं यादगार-ए-शाहजानी पार्क, भोपाल को दिनांक 30 जून 2014 से 28 जुलाई 2014 तक के लिए अस्थाई जेल घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दशरथ कुमार, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 जून 2014

फा. क्र. 1 (बी)-14-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कोहाड़ पुत्र स्व. श्री दामोदर कोहाड़ अधिवक्ता, तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बालाघाट सत्र खण्ड के बालाघाट राजस्व जिले की तहसील वारासिवनी के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी)-19-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री नारायण कुमार मिश्रा पिता स्व. श्री अवधेश प्रसाद मिश्रा अधिवक्ता, शहडोल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये शहडोल सत्र खण्ड के शहडोल राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला शहडोल नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उसे कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी)-30-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री राजकुमार दुबे पुत्र स्व. श्री ददईराम दुबे, जिला डिण्डौरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला डिण्डोरी सत्र खण्ड के जिला डिण्डोरी राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी)-30-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री शिवकुमार तिवारी पुत्र श्री गिरजा प्रसाद तिवारी अधिवक्ता, जिला डिण्डौरी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला डिण्डौरी सत्र खण्ड के जिला डिण्डौरी राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2014

फा. क्र. 1 (बी)-12-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र स्व. श्री बृहदवाल सिंह कुशवाह, अधिवक्ता भिण्ड, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी)-12-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री देवकीनंदन शर्मा, अधिवक्ता भिण्ड, को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1 (बी)-12-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री भगवान सिंह बघेल पुत्र श्री रामनाथ सिंह बघेल, अधिवक्ता तहसील गोहद जिला भिण्ड, को उनके कार्यग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये भिण्ड सत्र खण्ड के भिण्ड राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील गोहद, जिला भिण्ड नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2014

क्र. एफ (बी) 1-2014-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 9 के साथ पठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ (4) सी 5-97/ए-सोलह, दिनांक 27 जुलाई 2010 को अपास्त करते हुए, राज्य शासन एतदद्वारा निम्नानुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करता है:—

(अ) शासकीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए स्वतंत्र व्यक्ति—

1. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर — अध्यक्ष
2. संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, म.प्र. शासन, विंध्याचल भवन, भोपाल. — सदस्य
3. सुश्री शिखा जोशी, मंत्री, स्वाश्रयी महिला सेवा संघ 96-बी, वैशाली नगर, इन्दौर. — सदस्य
4. महानिदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि, बाबा साहेब अम्बेडकर, राष्ट्रीय समाज विज्ञान संस्थान, डोंगरगांव (महु) जिला इन्दौर. — सदस्य

नियोक्ता के प्रतिनिधि—

1. श्री विपिन कुमार जैन, महासचिव, म. प्र. लघु उद्योग संघ, ई-2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल. — सदस्य
2. श्री अशोक बड़जात्या, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, 96, उद्योग भवन, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर. — सदस्य
3. श्री मनोहर नागपाल, सदस्य एक्जिक्यूटिव कमेटी, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, म. प्र. 96, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर. — सदस्य
4. श्री एस. पाल, उपाध्यक्ष, दी म. प्र. टैक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन, चीफ एक्जीक्यूटिव, अनंत स्पिनिंग मिल्स, प्लॉट नं. 1-ए न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया, मंडीदीप, जिला रायसेन. — सदस्य
5. श्री गिरीश मंगला, चेयरमैन, फैडरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्रीज, मालवा जोन काउंसिल, 238, सिविल लाईन्स, पॉवर हाउस के सामने, देवास (म.प्र.) — सदस्य
6. श्री वीरेन्द्र जैन, महासचिव, मध्यप्रदेश बीड़ी उद्योग संघ, 178 केशवगंज, सागर. — सदस्य

श्रमिकों के प्रतिनिधि—

1. श्री सुल्तानसिंह शेखावत, कार्यकारी अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, 249, शासकीय क्वार्टर, बिरलाग्राम, नागदा जिला उज्जैन. — सदस्य

2. श्री कानसिंह चौहान, सदस्य
प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ,
12 खारीवाल मोहल्ला जावरा, जिला रतलाम.

3. श्री लक्ष्मीनारायण पाठक, सदस्य
कोषाध्यक्ष, म. प्र. इंटक, मकान नं. 6,
गली नं. 8, परदेशीपुरा, इन्दौर.

4. श्री नारायण भारती, सदस्य
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू)
आई.डी.ए. स्कीम नं. 91, कार्यालय कक्ष
क्रमांक 1-2 प्रीयदर्शनी महिला हाट,
मालवा मिल चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)

5. कॉ. कृष्णा मोदी, सदस्य
अध्यक्ष, एटक मध्यप्रदेश राज्य समिति,
पाथाखेड़ा, जिला बैतूल.

6. श्री हरिओम सूर्यवंशी, सदस्य
प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, म.प्र. हिंद मजदूर
सभा, केम्प इन्दौर, 445, पाटनीपुरा, इन्दौर.

राज्य शासन न्यूनतम वेतन (मध्यप्रदेश) नियम, 1958 के नियम 7 के उपनियम (1) के अन्तर्गत उप श्रम आयुक्त, इन्दौर को उपरोक्त बोर्ड का सचिव नियुक्ति करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2014

क्र. एफ. 3-21-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-21-2013-बत्तीस, दिनांक 19 अगस्त 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम राउ	1094/1/क	14.54	आवास एवं मार्ग	वाणिज्यिक—पर्यटन संबंधी गतिविधियों हेतु एवं मार्ग शर्तें—चूंकि यह भूमि राज्य शासन के द्वारा पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए पर्यटन विभाग को आवंटित की गई है. अतः पर्यटन विभाग से भिन्न किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि पर विकास करने के पूर्व राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा.
	योग . .		14.54		

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत इन्दौर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग मान्य होगा.

क्र. एफ. 3-85-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-85-2013-बत्तीस, दिनांक 4 मार्च 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित ग्वालियर विकास योजना, 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम सीवेज फार्म	219 से 221, 227, 230 से 246, 249 से 256, 282 से 287, 290 से 311, 314 से 316	40	कृषि (सब्जी बाग)	औद्योगिक (सूचना प्रौद्योगिकी) शर्तें—उपांतरण उपरांत प्रश्नाधीन भूमि का समग्र रूप से ऐसा अभिन्यास तैयार करें कि जिसमें सार्वजनिक मार्गों को यथावत रखते हुये तथा निजी मार्गों का उचित समन्वय किया जाये.
		योग . .	40		

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत ग्वालियर विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग मान्य होगा.

क्र. एफ. 3-223-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-223-2012-बत्तीस, दिनांक 26 मार्च 2013 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम शाहजहांनाबाद	64	4500 वर्गमीटर	आबासीय	वाणिज्यिक—(त.क्षे.अ.1:1.0) कन्वीनियेंट शॉपिंग.
2	परी बाजार	81	6000 वर्गमीटर	आबासीय	वाणिज्यिक—(त.क्षे.अ.1:1.5) लोकल शॉपिंग.
		योग . .	10500 वर्गमीटर		

2. उपरोक्त उपांतरण अंगीकृत भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग मान्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)
आदेश

भोपाल, दिनांक 27 जून 2014

क्र. एफ. 67-13-13-तीन-नपा-184.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद सोयतकलां जिला शाजापुर** के उप निर्वाचन में **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **इस नगर परिषद** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 26 जुलाई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 25 अगस्त 2013 तक, **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** को नोटिस दिनांक 27 नवम्बर 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी 2014 प्रतिवेदित किया है कि अभ्यार्थी **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी 2014 तक कोई निर्वाचन व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** को विचारोपरांत दिनांक 13 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** को उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा सी.एम.ओ. नगर परिषद् सोयतकलां के माध्यम से दिनांक 8 मई 2014 को कराई गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती भागूबाई पति श्री रामप्रसाद दांगी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद सोयतकलां जिला शाजापुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 27 जून 2014

क्र. एफ. 67-13-13-तीन-नपा-185.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2013 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद सोयतकलां जिला शाजापुर** के उप निर्वाचन में **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **इस नगर परिषद** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 26 जुलाई 2013 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 25 अगस्त 2013 तक, **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी शाजापुर के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, शाजापुर के पत्र दिनांक 3 सितम्बर 2013 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2013 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** को नोटिस दिनांक 27 नवम्बर 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी 2014 प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 28 जनवरी 2014 तक कोई निर्वाचन व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** को विचारोपरान्त दिनांक 13 मई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुईं. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** को उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा सी.एम.ओ. नगर परिषद् सोयतकलां के माध्यम से दिनांक 8 मई 2014 को कराई गई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नि श्री जगदीश सिंह** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद सोयतकलां जिला शाजापुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2014

क्र. एफ. 67-129-10-तीन-नपा-225.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद बाड़ी जिला रायसेन** के आम निर्वाचन में **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. **नगर परिषद बाड़ी जिला रायसेन** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें, अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना-पत्र में **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल का कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 10 मार्च 2010 को उनके पति द्वारा तामील किया गया. अतः **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** को दिनांक 25 मार्च, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 22 फरवरी 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 8 मार्च 2014 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समायवधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री मनोरमा डाक्टर पटेल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् बाड़ी जिला रायसेन** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2014

संशोधन

क्र. भसकम 1911 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 278 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से, प्रसुविधाओं से संबंधित प्रक्रियात्मक तथा अवशिष्ट मामलों को अभिकथित करने वाली पूर्व में अधिसूचित समस्त योजनाओं में वर्तमान प्रावधानों एवं हितलाभ के स्वीकृति के अधिकार संबंधी सुसंगत कण्डिकाओं में संशोधन कर क्षेत्रीय स्तर पर एतद्द्वारा यथा प्रत्यायोजित करता है:—

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अन्तर्गत संचालित योजनाओं को समग्र सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये कार्यक्रम और उसके अवयवों को एक निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृति प्रदान की जायेगी. जिन आवेदकों के आवेदन पत्र समय-सीमा में स्वीकृत नहीं होते हैं या वे पदाभिहित अधिकारी के आदेश से सहमत नहीं है ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान निम्नानुसार सारणी में किया जाता है:—

सारणी

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	**ग्रामीण क्षेत्र** विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र सिविल सर्जन/ अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल.	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
2	चिकित्सा सहायता योजना.	**ग्रामीण क्षेत्र** अ. विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी. राशि रुपये 30,000 तक.	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी.	15 कार्य दिवस	कलेक्टर
	पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उसके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति.	ब. कलेक्टर राशि रु. 1 लाख तक (जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर).	15 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मण्डल
		स. आयुक्त राशि रु. 2 लाख तक (जिला स्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर).	15 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. भ.स.क. क. मण्डल.	15 कार्य दिवस.	बोर्ड

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		द. सचिव मण्डल राशि रु. 3 लाख तक (जिलास्तरीय समिति एवं कलेक्टर, अनुशंसा पर).	20 कार्य दिवस	अध्यक्ष, मण्डल.	15 कार्य दिवस.	बोर्ड
		शहरी क्षेत्र अ. सिविल सर्जन या अधीक्षक मेडिकल कालेज अस्पताल/ संबंधित अस्तपाल राशि रु. 30,000 तक.	10 कार्य दिवस	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर
		ब. कलेक्टर राशि रु. 1 लाख तक (जिलास्तरीय समिति की अनुशंसा पर).	15 कार्य दिवस	आयुक्त	15 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म.प्र. भ.स.क.क. मण्डल.
		स. आयुक्त राशि रु. 2 लाख तक (जिलास्तरीय समिति एवं कलेक्टर अनुशंसा पर).	15 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. भ.स.क. क. मण्डल.	—	बोर्ड
		द. सचिव मण्डल राशि रु. 3 लाख तक (जिलास्तरीय समिति एवं कलेक्टर की अनुशंसा पर).	20 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. भ.स.क. क. मण्डल.	—	बोर्ड
3	विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	15 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद्.	15 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
4	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना.	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद्.	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
5	अन्त्येष्टि सहायता	ग्राम पंचायत	अंतिम संस्कार के दिन.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत.	7 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
		शहरी क्षेत्र अ. नगरपालिका निगम.	अंतिम संस्कार के दिन.	अ. कलेक्टर	7 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. नगरपालिका/ नगर परिषद्.	-तदैव-	ब. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	7 कार्य दिवस.	कलेक्टर
6	निर्माण श्रमिकों का पंजीयन/ नवीनीकरण.	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद्.	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
7	निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदाय करना.	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत.	30 कार्य दिवस.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर पालिक निगम.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/ नगर परिषद्.	30 कार्य दिवस.	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर

नोट.—1. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

2. इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक तक पूर्व पदाभिहित अधिकारियों के वेब पोर्टल पर दर्ज समस्त आवेदनों का निराकरण पूर्ववतः पूर्व में नियुक्त पदाभिहित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा.

अजय नेमा, सचिव.

संचालनालय, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश

आदेश

भोपाल, दिनांक 3 मई 2014

क्र. 1-जी-विज्ञप्त-सेल-6-वेतन-2014-636.—मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) भरती निमय, 1988 में संशोधन दिनांक 30 जनवरी 2008 को संशोधन अनुसार चिकित्सा अधिकारियों के पद के लिये चार स्तरीय वेतनमान स्वीकृत किये जाने के प्रावधान अनुसार निम्नलिखित 05 चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 14300—400—18300 (पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 37400—67000+ग्रेड-पे 8700) दिनांक 1-1-2008 से एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है:—

क्र.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	पदक्रम सूची में क्रमांक (वर्ष 2007 की स्थिति में)	लो.से.आ./नियमितीकरण वर्ष		वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान दिये जाने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Dr. R. P. Garg	128	1980	349	1-1-2008
2	Dr. Smt. Rama Shastri	129	1980	351	1-1-2008
3	Dr. Sidhharth Agarkar	130	1980	356	1-1-2008
4	Dr. Hemant Sojatia	131	1980	358	1-1-2008
5	Dr. Vijay Kumar Sharma	132	1980	359	1-1-2008

2. जिन चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत किया गया है, का वेतन निर्धारित मूलभूत 22-ए (i) में किये गये प्रावधानों के तहत किया जावेगा. किसी भी दशा में मूलभूत नियम 22-डी का लाभ देय नहीं होगा.

3. जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस आदेश के तहत वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 14300—400—18300 (पुनरीक्षित वेतन बेण्ड 37400—67000+ग्रेड-पे 8700) स्वीकृत किया जा रहा है उनका वेतन निर्धारण करने के पूर्व निम्नलिखित निर्देशों के तहत संबंधित चिकित्सक की सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेखों से पुष्टि/कार्यवाही कर ली जाए:—

(1) चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान जिस दिनांक से स्वीकृत किया गया है उस दिनांक से यदि सेवा की कोई अवधि डाईजानॅन की गई हो तो उनकी वरिष्ठ प्रवर श्रेणी की पात्रता को स्थगित रखते हुए संचालनालय से यथास्थिति मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करें.

(2) यदि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को उसे वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ दिये जाने के दिनांक के पूर्व की सेवा किसी कालावधि की अनाधिकृत अनुपस्थिति का निराकरण संचालनालय/राज्य शासन द्वारा किया जाना बाकी हो तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ अनाधिकृत अनुपस्थिति कालावधि के निराकरण के बाद ही दिया जाये.

(3) यदि वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेततमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण के निराकरण के बाद और अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.

(4) यदि कोई चिकित्सक उस दिनांक जिस दिनांक से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतमान स्वीकृत किया गया है के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत हो चुका हो, त्याग पत्र दे दिया हो तो अथवा नियमित पदोन्नत हो चुका हो तो ऐसे चिकित्सक को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा.

(5) वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ प्राप्त करने वाले चिकित्सकों में से जो चिकित्सक वर्तमान में नियमित विशेषज्ञ अथवा अन्य समतुल्य वरिष्ठ प्रवर पद पर कार्यरत है, उन्हें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान का लाभ विशेषज्ञ पद अथवा अन्य समतुल्य वरिष्ठ प्रवर पद पर नियुक्ति के दिनांक तक ही प्राप्त होगा और विशेषज्ञ अथवा समतुल्य वरिष्ठ प्रवर पद पर नियुक्ति की तिथि से पदोन्नत पद के वेतनमान में मूलभूत नियम 22ए (i) के अनुसार वेतन निर्धारण किया जावे.

मनोज श्रीवास्तव, अपर संचालक.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 9 जून 2014

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-4154.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	खड़आमला	0.087	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	खड़आमला जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल, दिनांक 13 जून 2014

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष 13-14-भू-अर्जन-4254.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	मुलताई	सोनोरा	0.070	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई.	खड़आमला जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 24-1 (क) लागू.

(5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 10 जून 2014

प्र. क्र. 19-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					प्राधिकृत अधिकारी
जिला	तहसील	ग्राम	सर्वे नं. एवं लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
विदिशा	विदिशा	हिनोतिया	3/1	0.116	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा.
			3/2	0.021	
			7	0.116	
			8/1	0.052	
			8/2/1	0.052	
			10/1	0.220	
			5/1/1	0.136	
			4	0.010	
			9	0.010	
			योग . .	0.733	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यलय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	पीपलखेडा कला	0.070	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोकसागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	पीपलखेडा नहर की माइनर एल.एम. 6.

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	सुल्तनिया	2.975	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोकसागर संभाग क्र. 2.	सम्राट अशोक सागर (द्वितीय चरण) की पीपलखेडा वितरिका नहर की टेल माइनर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	ब्यौंची	1.244	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोकसागर संभाग क्र. 2.	सम्राट अशोक सागर (द्वितीय चरण) की पीपलखेडा वितरिका नहर की टेल माइनर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्र. क्र. 1569-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) एवं भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	विदिशा	अहमदानगर	2.578	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोकसागर संभाग क्र. 2.	सम्राट अशोक सागर (द्वितीय चरण) की पीपलखेडा वितरिका नहर की टेल माइनर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 16 जून 2014

क्र. भू.अ.अ.-2013-14-1015-प्र. क्र. अ-82-वर्ष-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन सार्वजनिक प्रयोजन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में एवं मकान		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	हिनौताकला + पिपरिया किरउ निवाई माफी	1.15 हेक्टर 09 मकान	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह.	पिपरिया जलाशय निर्माण में आने वाली शेष छूटी हुई भूमि/ मकानों का भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, हटा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दमोह, दिनांक 24 जून 2014

प. क्र. 392-भू-अर्जन-पथरिया-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	नयागांव	1.77	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, दमोह.	भिलौनी जलाशय योजना डूब बांध एवं नहर क्षेत्र हेतु.
		पौंड़ी फतेहपुर	1.02		
		डूंगरूपुरा	2.12		
		भिलौनी	3.125		
		योग . .	8.035		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 जून 2014

प. क्र. 622-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, महिदल वितरक की महिदल माइनर नं. 2 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	महिदल कला	1.682	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.	महिदल वितरक नहर के महिदल माइनर नं. 2, 1.682 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 624-प्रशा.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची में खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि, महिदल वितरक की महिदल माइनर नं. 2 नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	भलवार	0.450	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा.	महिदल वितरक नहर के महिदल माइनर नं. 2, 0.450 हे. में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 27 जून 2014

प्र. क्र. 95-अ-82-2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक तीस, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, के द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्रधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	अम्हापुरवा	0.129	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लवकुशनगर.	बरियारपुर बांयी नहर की अम्हा वितरक नहर के अन्तर्गत अम्हा सब-माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की अम्हा वितरक नहर के अन्तर्गत अम्हा सब-माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

आगर मालवा, दिनांक 30 जून 2014

क्र. 111-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	बड़ौद	कडवाला	0.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 112-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	बड़ौद	पिपलिया विजय	0.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 113-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	बड़ौद	भीमाखेड़ी	0.33	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 114-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	बड़ौद	खजुरी बड़ौद	0.32	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 115-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	बड़ौद	मदकोटा	0.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 116-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना के बांध निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	बड़ौद	बनोठीखुर्द	0.013	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.

भूमि का नक्शा (प्लान) कालम (5) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 117-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की बांयी नहर निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	बड़ौद	आमलिया	0.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बाई नहर निर्माण में प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कालम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 118-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि कछाल तालाब मध्यम परियोजना की दांयी नहर निर्माण का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	बड़ौद	बिलिया	0.84	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल मध्यम तालाब परियोजना की बांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कालम 5 में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 119-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा के बांध का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	खेजडी	15.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कीटखेडी तालाब योजना के बांध के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.

नोट.—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 120-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा के बांध का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	सारसी	0.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कीटखेडी तालाब योजना के बांध के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.
		योग . .	0.50		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 121-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा के बांध का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	प्रधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	सुसनेर	खैराना	20.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कीटखेडी तालाब योजना के बांध के निर्माण में प्रभावित होने वाली शेष निजी भूमि.
		योग . .	20.70		

नोट.—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 122-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने क्रमांक (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दिशता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने नम्बर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा उक्त 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है चूंकि कीटखेडी मध्यम परियोजना तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा के बांध का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए एवं आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टेयर में)	प्रधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगर-मालवा	बड़ौद	खेडा नारेला	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शाजापुर (म. प्र.).	कछाल मध्यम तालाब परियोजना की दांयी नहर निर्माण प्रभावित होने से.

नोट.—भूमि के नक्शे एवं (प्लान) कालम 5 में वर्णित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 जून 2014

पत्र क्र. 560-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—मदरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.104 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
400	0.099	–
401	–	0.021
402	0.123	–
403	0.072	–
404	0.244	–
405	0.260	–
415	0.005	–
416	0.082	–
417	0.076	–
418	0.160	–
419	0.157	–
420	0.042	–
421	0.039	–
441	–	0.010
442	0.035	–
443	0.008	–
444	0.170	–
445	0.178	–
448	–	0.079
460	0.001	–
504	–	0.042
508	0.173	–
509	0.096	–
549	0.098	–
551	0.166	–
586	0.307	–
605	0.205	–
606	0.161	–
607	0.003	–
608	0.225	–
609	0.148	–
610	0.154	–
611	–	0.178
613	0.029	–
614	–	0.027
740	–	0.231
योग . .	3.516	0.588

कुल योग . . 4.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 562-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—खाझा पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.514 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
238	0.076	–
240	0.162	–
359	–	0.078
360	–	0.100
361	0.033	–
382	0.002	–
384	0.185	–
385	0.239	–
386	0.110	–
387	0.006	–
388	0.156	–
389	0.003	–
391	0.214	–
392	0.016	–
393	0.022	–
394	0.001	–
396	0.037	–
397	0.012	–
398	0.134	–
399	0.223	–
400	0.002	–
404	–	0.012
407	–	0.021
409	0.003	–
410	0.093	–
411	0.041	–
412	0.013	–
413	0.200	–
414	–	0.028
416	0.222	–
417	0.020	–
418	0.027	–
430	0.082	–
469	–	0.043
596	–	0.025
602	0.226	–
603	0.194	–
616	0.007	–
617	0.036	–
618	0.084	–
620	0.132	–
627	0.049	–
628	0.112	–
633	0.028	–
634	0.036	–
635	0.103	–
636	0.111	–
637	0.047	–
641	0.093	–
668	0.093	–
669	0.185	–
673	0.074	–
674	0.116	–
681	0.021	–
682	0.030	–
693	0.233	–
697	0.004	–
728	0.177	–
729	0.101	–
732	0.087	–
733	0.009	–
735	0.015	–
736	0.163	–
737	0.010	–
747	0.310	–
748	0.023	–
749	0.180	–
750	0.018	–
751	0.015	–
752	0.054	–
753	0.008	–
758	0.136	–
योग . .	5.311	0.203
कुल योग . .	5.514	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में

किया जा सकता है.

प्र. क्र. 564-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—रामपुर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.029 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
19	0.011	-
22	0.079	-
23	0.089	-
25	0.051	-
26	0.006	-
29	0.001	-
30	0.038	-
31	0.021	-
32	0.024	-
33	0.129	-
34	0.082	-
35	0.104	-
36	0.076	-
37	0.018	-
39	0.047	-
40	0.013	-
41	0.054	-
43	0.469	-
44	0.203	-
59	0.538	-
74	0.006	-
75	0.140	-
76	0.163	-
77	0.176	-
83	0.013	-
84	0.014	-
85	0.109	-
86	0.078	-
87	0.138	-
88	0.173	-
89	0.232	-
95	0.473	-
601	0.020	-
617	0.036	-
619	0.131	-
620	0.304	-
621	0.147	-
622	0.081	-
623	0.008	-
624	0.131	-
631	0.002	-
632	0.002	-
633	0.326	-
634	0.223	-
639	1.827	-
641	0.094	-
653	1.834	-
723	0.095	-
योग . .	9.029	0.000
कुल योग . .	9.029	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 566-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—खारा पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.533 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
145	–	0.001
146	0.329	–
147	0.190	–
150	0.210	–
151	0.130	–
152	0.017	–
155	0.028	–
157	0.101	–
177	0.419	–
178	0.595	–
179	0.198	–
180	0.018	–
198	0.059	–
199	0.007	–
200	0.046	–
201	0.230	–
202	0.016	–
230	–	0.031
246	0.290	–
247	0.146	–
255	0.239	–
256	0.201	–
256/354	0.011	–
257	0.165	–
258	0.202	–
261	0.002	–
262	0.091	–
263	0.180	–
264	0.128	–
265	0.144	–
266	0.005	–
267	0.047	–
268	0.267	–
269	0.078	–
271	0.005	–
340	0.666	–
342	–	0.041
योग . .	5.460	0.073
कुल योग . .	5.533	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 568-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—डोडौ मामला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.417 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
1	–	0.029
2	1.616	–
3	0.342	–
4	2.676	–
5	1.669	–
8	–	0.039
16	–	0.046
योग . .	6.603	0.114
कुल योग . .	6.417	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 570-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—कुसहा पवाई नम्बर-2
(घ) क्षेत्रफल—1.413 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
2	0.421	–
9	0.992	–
योग . .	1.413	0.000
कुल योग. .	1.413	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 572-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चचूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—भटमजरा पवाई
(घ) क्षेत्रफल—2.089 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) निजी भूमि (2)	शासकीय भूमि (3)
8	0.110	–
9	–	0.025
10	0.004	–
17	0.002	–
18	0.408	–
19	0.029	–
25	0.309	–
26	0.132	–
27	0.013	–
28	0.176	–
29	0.041	–
30	0.176	–
31	0.023	–
50	0.033	–
51	0.380	–
52	0.228	–
योग . .	2.064	0.025
कुल योग. .	2.089	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 574-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—रिमारी पैपखार

(घ) क्षेत्रफल—7.816 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
219	0.248	–
220	0.155	–
221	0.145	–
228	0.015	–
229	0.106	–
230	0.004	–
231	0.307	–
232	0.035	–
233	0.285	–
234	0.007	–
238	0.010	–
244	0.005	–
245	0.302	–
246	0.012	–
248	0.028	–
250	0.028	–
278	0.216	–
280	0.356	–
281	0.221	–
286	0.062	–
287	0.028	–
288	0.004	–
292	0.149	–
293	0.091	–
294	0.043	–
295	0.004	–
300	0.102	–
301	0.147	–
302	0.046	–
317	0.029	–
318	0.117	
319	0.142	
323	0.143	–
325	0.367	–
332	0.228	–
333	0.141	–
336	0.223	–
337	0.100	–
338	0.240	–
517	0.174	–
518	0.154	
519	0.087	–
586	0.923	–
587	0.717	–
588	0.024	–
591	0.389	–
592	0.111	–
613	0.264	–
614	0.082	–
योग . .	7.816	0.000
कुल योग. .	7.816	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 578-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—कल्याणपुर मामला नम्बर-2

(घ) क्षेत्रफल—7.018 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
9	0.313	–
10	0.070	–
11	0.265	–
15	0.065	–
16	0.125	–
17	0.173	–

(1)	(2)	(3)
18	–	0.088
19	0.396	–
20	0.071	–
21	0.148	–
26	0.031	–
27	0.115	–
28	0.168	–
29	0.050	–
31	0.247	–
32	0.022	–
35	0.420	–
36	0.254	–
37	0.064	–
38	0.036	–
42	0.019	–
43	0.011	–
69	–	0.050
159	1.300	–
267	0.864	–
269	0.829	–
270	–	0.034
271	0.345	–
275	0.445	–
योग . .	6.846	0.172
कुल योग. .	7.018	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 580-प्रका.भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—गडहरा
(घ) क्षेत्रफल—2.293 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
(अ) निजी पट्टे की भूमि	
148	0.118
153	0.115
154	0.200
192	0.020
47	0.160
193	0.430
179	0.140
180	0.180
182	0.060
176	0.300
208	0.490
कुल रकबा . .	2.213
(ब) म. प्र. शासन की भूमि	
155	0.080
कुल रकबा	0.080
(अ+ब) कुल रकबा . .	2.293

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना'' सिंचाई में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 582-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—पतिहन पुरवा

(घ) क्षेत्रफल— 3.447 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	अशासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
141	–	–
199	3.447	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रत्र क्र. 584-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—डीह
(घ) क्षेत्रफल— 0.753 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
662	0.070	–
694	0.022	–
735	–	0.080
871	0.026	–
890	0.077	–
913	–	0.032
914	–	0.022
923	–	0.058
924	–	0.038
926	–	0.015
991	0.062	–
1042	0.078	–
1166	0.022	–
1395	0.018	–
1402	0.105	–
1818	0.028	–
योग . .	0.508	0.245
कुल योग . .	0.753	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 586-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—शिवपुरवा
(घ) क्षेत्रफल— 0.046 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
6	0.012	–
7	0.024	–
8	0.010	–
योग . .	0.046	0.000
कुल योग . .	0.046	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर/सब-माइनर नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 588-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—लटियार कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.364 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
क्रमांक	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
143	–	0.032
155	0.009	–
156	0.061	–
157	–	0.024
158	0.341	–
161	0.490	–
171	0.102	–
172	0.134	–
175	0.021	–
176	0.072	–
177	0.079	–
179	0.173	–
180	0.073	–
181	0.016	–
182	0.095	–
224	0.028	–
225	0.008	–
226	0.051	–
227	0.126	–
232	0.111	–
233	0.011	–
234	0.119	–
238	0.025	–
239	0.148	–
283	0.270	–
402	0.036	–
403	0.161	–
404	0.015	–
405	0.057	–
406	0.015	–
407	0.030	–
408	0.008	–
409	0.051	–
410	0.060	–
411	0.013	–
415	0.068	–
440	–	0.028
475	0.006	–
476	0.009	–
479	0.022	–
480	0.002	–
481	0.013	–
486	0.053	–
488	0.022	–
490	0.010	–
492	0.013	–
493	0.108	–
494	0.011	–
495	0.014	–
496	0.100	–
497	0.030	–
498	0.084	–
499	0.012	–
500	0.197	–
917	–	0.080
939	0.008	–
940	0.112	–
941	0.031	–
943	0.065	–
944	0.108	–
946	0.067	–
975	0.003	–
976	0.064	–
977	0.146	–
978	0.002	–
979	0.053	–
980	0.193	–
1015	0.004	–
1017	0.005	–
1018	0.120	–

(1)	(2)	(3)
1019	0.123	–
1020	0.184	–
1021	0.005	–
1051	0.129	–
1052	0.006	–
1057	0.259	–
1058	0.040	–
1062	0.030	–
1063	0.032	–
1064	0.041	–
1101	0.287	–
1105	0.349	–
1109	0.561	–
1272	0.351	–
1413	0.039	–
योग . .	7.200	0.164
कुल योग. .	7.364	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 590-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—बड़ाछ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.083 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
क्रमांक	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
1	–	0.084
5	0.407	–
6	1.507	–
7	0.007	–
23	1.069	–
24	1.110	–
27	1.013	–
28	0.065	–
1370	0.796	–
1372	–	0.025
योग . .	5.974	0.109
कुल योग. .	6.083	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 592-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—सलैया कला कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.979 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
क्रमांक	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
18	0.036	–
19	0.070	–
22	0.108	–
23	0.040	–
24	0.154	–
25	0.146	–
29	0.186	–

(1)	(2)	(3)
30	0.304	–
31	0.033	–
37	0.132	–
43	0.001	–
44	0.021	–
45	0.129	–
152	0.490	–
153	1.632	–
160	0.152	–
164	0.016	–
165	0.058	–
338	0.123	–
341	0.750	–
342	0.249	–
343	0.074	–
344	0.934	–
345	0.292	–
347	0.002	–
357	0.720	–
358	0.127	–
योग . .	6.979	0.000
कुल योग . .	6.979	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 594-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—गुढ़ पवाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.116 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
क्रमांक	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
45	0.195	–
46	0.033	–
47	0.370	–
48	0.015	–
49	0.194	–
50	0.246	–
51	0.042	–
52	0.383	–
53	0.066	–
54	0.668	–
86	0.058	–
92	0.001	–
95	0.002	–
96	0.057	–
97	0.029	–
98	0.283	–
99	0.035	–
100	0.021	–
102	0.416	–
103	0.104	–
111	0.109	–
113	0.136	–
114	–	0.020
115	0.082	–
116	0.170	–
117	–	0.015
118	0.004	–
154	–	0.029
262	1.183	–
274	1.194	–
277	–	0.089
282	0.044	–
287	0.525	–
290	–	0.052
305	–	0.022
306	0.201	–
307	0.023	–
योग . .	6.889	0.227
कुल योग . .	7.116	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 596-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—खम्हरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.768 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
231	0.057	-
232	0.213	-
233	0.069	-
234	0.131	-
239	0.212	-
258	0.375	-
267	0.112	-
268	0.599	-
योग . .	1.768	0.000
कुल योग . .	1.768	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 598-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—जोड़ावरपुर पवाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.527 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
136	-	0.025
142	0.205	-
143	0.109	-
144	0.050	-
145	0.138	-
योग . .	0.502	0.025
कुल योग . .	0.527	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 600-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—वेरहुला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.933 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
नम्बर	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
211	0.155	-
222	0.106	-
223	-	0.030
224	0.115	-

(1)	(2)	(3)
225	–	0.073
226	0.094	–
227	0.049	–
228	0.176	–
233	0.128	–
234	0.046	–
235	0.101	–
236	0.190	–
237	–	0.005
238	0.422	–
239	–	0.053
240	0.181	–
241	–	0.027
242	0.071	–
243	–	0.006
244	0.075	–
245	–	0.155
257	0.138	–
258	0.002	–
259	0.479	–
260	0.135	–
261	0.161	–
262	0.106	–
264	0.013	–
265	0.083	–
266	0.087	–
267	0.061	–
268	0.073	–
269	0.097	–
270	0.093	–
271	0.146	–
272	–	0.168
276	–	0.257
277	–	0.016
278	–	0.069
279	0.184	–
280	0.218	–
282	–	0.094
293	0.001	–
295	0.066	–
296	0.111	–
297	0.056	–
298	0.056	–
646	0.038	–
647	0.056	–
648	0.258	–
649	0.005	–
654	0.002	–
669	–	1.346
योग . .	4.634	2.299
कुल योग . .	6.933	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 602-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—जवा
(ग) ग्राम—जोड़ावरपुर कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.668 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में) निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
143	0.668	–
144	–	–
योग . .	0.668	0.000
कुल योग. .	0.668	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 604-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—उपरवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.156 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
21	0.153	-
22	0.023	-
31	0.206	-
32	0.033	-
33	0.195	-
34	0.153	-
35	0.165	-
36	0.056	-
53	0.337	-
55	-	0.019
91	0.016	-
92	0.209	-
95	0.214	-
96	0.197	-
97	0.180	-
योग . .	2.137	0.019
कुल योग. .	2.156	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 606-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—पाती सरनाम सिंह

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.845 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
102	1.728	-
103	0.117	-
योग . .	1.845	0.000
कुल योग. .	1.845	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 608-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—बधई की पाती कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.737 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
136	0.086	–
137	1.613	–
142	–	0.038
योग . .	1.699	0.038
कुल योग . .	1.737	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 610-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—दर्रहा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.054 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
1	–	0.094
56	0.055	–
57	0.281	–
59	0.065	–
60	0.198	–
62	0.065	–
70	0.075	–
70/251	0.167	–
71	0.004	–
74	0.361	–
75	0.098	–
76	0.152	–
144	0.096	–
145	0.410	–
146	0.015	–
147	0.012	–
148	0.035	–
149	0.234	–
152	0.297	–
153	–	0.045
154	0.555	–
157	0.221	–
162	–	0.481
168	0.038	–
169	0.116	–
योग . .	3.434	0.620
कुल योग . .	4.054	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 612-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—कल्याणपुर मामला नम्बर-1

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.946 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)
11	0.175	–
12	–	0.036
13	0.787	–
14	0.095	–
15	0.215	–
16	0.039	–
18	–	0.040
22	0.274	–
23	0.025	–
24	0.003	–
26	0.098	–
27	0.157	–
28	0.002	–
योग . .	1.870	0.076
कुल योग . .	1.946	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 614-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—बघमड़ा 410

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.893 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
(1)	(2)	(3)
199	0.927	0.144
200/1	0.073	0.043
201/1	0.202	0.042
201/2	0.312	
202	0.178	0.044
247	0.263	0.032
248	0.129	0.052
249	0.238	0.007
262	0.174	0.016
263	0.016	0.006
265	0.138	0.033
267	0.194	0.064
270	0.146	0.042
277/1	0.114	0.086
277/2	0.113	
285/1	0.051	
285/2	0.051	0.060
285/3	0.052	
287/1	0.048	
287/2	0.047	0.0560
287/3	0.047	
292/1	0.085	0.012
292/2	0.085	
293/1/क/1	0.009	
293/1/क/2	0.009	
293/1/क/3	0.009	
293/1/क/4	0.009	0.118
293/1/क/5	0.009	
293/1/क/6	0.009	
293/1/ख	0.053	
293/1/ग	0.052	
293/2	0.049	
294/1	0.192	
294/2	0.180	0.036
कुल योग . .	0.893	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—1. गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमड़ा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उप सचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 616-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—सौर 568
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.659 हे.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
467	0.138
473	0.264
476	0.201
491	0.216
502	0.144
504	0.057
505	0.057
518	0.093
520	0.090
521	0.120
522	0.279
योग 09 किता.	1.659
ब-शासकीय भूमि की भूमि	
योग 0 किता	0.000
महायोग 11 किता	1.659

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत "क्योटी नहर की नेबूहा वितरक नहर की सौर माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 618-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—कंदैला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.119 हे.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
243	0.003
235	0.022
236	0.115
228	0.042
226	0.030
229	0.007
227	0.017
225	0.033
224	0.056
222	0.058
223	0.040
216	0.012
217	0.043
383	0.105
208	0.076

(1)	(2)
212	0.018
210	0.003
211	0.028
194	0.02
195	0.026
194	0.001
195	0.016
197/2	0.018
197/1	0.005
185	0.033
182	0.085
181	0.11
179	0.045
178	0.05
188	0.086
631	0.011
189	0.045
629	0.07
628	0.056
635	0.029
627	0.08
626	0.012
636	0.106
761	0.06
760	0.03
762	0.032
761	0.018
621	0.064
620	0.044
662	0.078
776	0.058
781	0.091
770	0.01
771	0.052
777	0.012
780	0.022
779	0.005
778	0.019
784	0.027
785	0.003
788	0.004
790	0.011
789	0.018
802	0.016
801	0.048
800	0.006
797	0.019
799	0.039
798	0.12
812	0.054
1329	0.05
820	0.03
821	0.075
1043	0.022
823	0.016
1042	0.003
1041	0.11
1029	0.013
1033	0.051
1032	0.058
1030	0.067
1031	0.016
1027	0.036
योग . .	3.119

ब-शासकीय भूमि की भूमि

योग . .	0.000
महायोग . .	3.119

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''क्योटी नहर की नेबूहा वितरक की कदैला माइनर'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 620-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) नगर/ग्राम—उमरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.070 हे.

खसरा नंबर	एरिया (हे. में)
(1)	(2)
2594	0.070
योग . .	0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की शाहपुर शाखा नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर, परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 28 जून 2014

पत्र क्र. 627-प्रका./भू-अर्जन-2014-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराज नगर
(ग) ग्राम—बम्हौरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.38 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
151	0.081
144	0.011
154	0.072
157	0.328
158	0.008
159	0.045
141	0.048
140	0.008
167	0.120
168	0.100
183	0.045
182	0.204
181	0.008
193	0.064
194	0.032
200	0.056
201	0.056
207	0.096
208	0.060
242	0.152
247	0.184
248	0.069
249	0.157
499	0.040
501	0.108
505	0.080
504	0.056
512	0.078
510	0.030
502	0.078
26	0.320
14	0.073
11	0.140
40/1	0.144
39	0.178
53	0.056
54	0.132
55	0.120
69/2	0.048
69/1	0.199
584/1	0.008
584/2	0.036
399	0.122
398/1	0.058
400	0.041
397	0.080

(1)	(2)
396	0.033
393	0.192
594	0.080
392	0.026
391	0.200
376	0.092
544	0.136
447	0.392
योग. .	5.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बम्हौरी एवं खम्हरिया माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शिासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 629-प्रका./भू-अर्जन-2014-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम—चूली पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.642 हेक्ट.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
87	0.267
92	0.006
89	0.017
90	0.155
98	0.012
97	0.0148
109	0.047
110	0.042
108	0.064
111	0.004
112	0.029
94	0.0167
93	0.095
116	0.034
117	0.003
118	0.024
55	0.0364
54	0.027
53	0.012
135	0.125
योग . .	1.642

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगांव माइनर के अन्तर्गत चूली सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 631-प्रका./भू-अर्जन-2014-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम—मझियार कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.87 हेक्ट.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
127	0.064
02	0.820
6/4	0.035
6/5	0.064

(1)	(2)
6/6	0.030
6/7	0.030
6/8	0.030
6/9	0.045
6/10	0.040
6/11	0.027
6/12	0.027
6/13	0.034
6/14	0.028
6/15	0.028
6/16	0.028
6/18	0.140
6/23	0.184
6/26	0.072
6/ग	0.052
6/क	0.038
9	0.494
10	0.560
योग . .	2.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगांव माइनर के अन्तर्गत चूली सब-माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 633-प्रका./भू-अर्जन-2014-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुर बघेलान

(ग) ग्राम—मलगांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.244 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
30	0.120
23	0.660
24	0.002
25	0.240
21	0.120
36	0.512
17	0.026
16	0.570
63	0.030
64	0.164
75	0.240
74	0.018
73	0.168
72	0.020
71	0.292
88	0.024
90	0.200
91	0.016
92	0.240
123	0.300
124	0.060
125	0.018
120	0.168
119	0.180
127	0.016
115	0.444
114	0.156
154	0.016
152	0.08
155	0.144
योग . .	5.244

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत मलगांव सब माइनर के निर्माण कार्य में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 30 जून 2014

प्र. क्र. 03-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके लिये यह घोषणा किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—बिजावर

(ग) ग्राम—डारगुवॉ

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—11.680 हेक्टर.

अर्जित की जा रही/ भूमि का खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा/क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
353	0.310
467/2	0.121
468/1	0.075
469/1	1.024
469/2	0.016
470/2	0.081
486/1	0.324
486/2	0.032
427	0.513
428	0.178
429	0.008
430	0.259
361	0.020
471	0.482
472	0.162
487	0.109
489	0.364
490	0.125
504	0.124
473	0.231
476	0.089
477	0.057
417	0.057
418	0.104
420	0.118
492	0.198
493	0.178
352	0.065
425	0.154
423	0.210
424	0.364
496	0.611
502	0.292
354	0.268
355	0.020
360	0.125
474	0.109
475	0.138
499	0.174
500	0.479
434/2	0.090
438	0.075
439	0.024
440	0.526
459	0.206
411/2	0.081
460/1	0.243
460/2	0.202
460/3	0.186
460/4	0.202
461	0.016
462	0.085
463	0.177
497/1	0.210
497/2	0.211
482	0.061
484	0.482
483	0.235
योग . .	11.680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—डारगुवॉ तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिजावर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 8 जुलाई 2014

प्र. क्र. 017-अ-82-वर्ष 2013-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना

(ख) तहसील—अमानगंज

(ग) ग्राम—सिरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.150 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
2885/2	0.150	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि ...	0.150	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—पन्ना अमानागंज-सिमरिया मार्ग योजना के अन्तर्गत अमानगंज बायपास रोड निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 12 जून 2014

प्र. क्र. 01-अ-82-2013-14-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
भोपाल	हुजूर	पीपलनेर	खसरा नम्बर 219 में से किता-1	रकबा 0.061	कार्यपालन यंत्री, गैस राहत संभाग क्रमांक-1, राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल. (म. प्र.)	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपालके गोदाम सह कार्यालय के पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.
			कुल . .	0.061		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नजूल बैरागढ़-वृत, तहसील हुजूर, भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2014

प्र. क्र. 03-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
भोपाल	बैरसिया	बरखेडाकलां	4.800	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भोपाल	बी. ओ. टी. एन्युटी योजना अन्तर्गत आंकिया -बरखेडाकला-डोंगरगांव-नजीराबाद मार्ग निर्माण.

(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बी. ओ. टी. एन्युटी योजना अन्तर्गत आंकिया-बरखेड़ा डोगरगांव नजीराबाद मार्ग निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान का निरीक्षण कलेक्टर, भोपाल/भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुवभागीय अधिकारी, बैरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 30 जून 2014

प्र. क्र. 017-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	सिरी	निजी भूमि रकबा 0.250 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा कुल रकबा 0.250 हे.	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोज डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अन्तर्गत अमानगंज बायपास रोड निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. बफ-बंधक श्रम-श्रम-ग्वा.-2014-522-69.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति का निम्नानुसार गठन करता हूं :—

(क)	कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
(ख)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य—	
1.	श्री किशनलाल हिण्डोलिया, 368 जती की लाईन, बिरला नगर, ग्वालियर	सदस्य
2.	श्री सरदारसिंह परिहार, ग्राम अडूपुरा, तहसील मुरार	सदस्य
3.	श्री मनीष राजौरिया, हेमसिंह की परेड, लश्कर	सदस्य
(ग)	सामाजिक कार्यकर्ता—	
1.	श्री दीपक शर्मा, घासमण्डी, ग्वालियर	सदस्य
2.	श्री अशोक गोस्वामी, ललितपुर कालोनी, ग्वालियर	सदस्य
(घ)	शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि—	
1.	श्री पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर	सदस्य
2.	श्री मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर	सदस्य
3.	श्री जिला संयोजक, आदि जाति कल्याण विभाग, ग्वालियर	सदस्य
(ङ)	वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि—	
1.	श्री अग्रणी बैंक अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	सदस्य

ग्वालियर, दिनांक 7 जून 2014

बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड मुरार (ग्वालियर ग्रामीण)

क्र. बफ-बंधक श्रम-श्रम-ग्वा.-2014-70.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, ग्वालियर ग्रामीण, मुरार का निम्नानुसार गठन करता हूं :—

(क)	अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर ग्रामीण (राजस्व)	अध्यक्ष
(ख)	अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य—	
1.	श्री भगवानलाल पुत्र खेमराज आदिवासी, निवासी उटीला	सदस्य
2.	श्री सरदार सिंह पुत्र राजाराम परिहार, निवासी जग्गूपुरा	सदस्य
3.	श्री महेश जाटव पुत्र नाथूराम जाटव, निवासी सुपावली	सदस्य
(ग)	सामाजिक कार्यकर्ता—	
1.	श्री राकेश कश्यप पुत्र भगवान दास कश्यप निवासी, द्वारिकाधीश कालोनी, सुरेश नगर	सदस्य
2.	श्री रेवतीप्रसाद पुत्र श्री जनवेदसिंह, निवासी 119, अम्बेडकर नगर, कुम्हरपुरा, गांधीनगर	सदस्य
(घ)	ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि—	
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुरार, जिला ग्वालियर	सदस्य
2.	क्षेत्रीय संगठक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मुरार, जिला ग्वालियर	सदस्य
3.	तहसीलदार, मुरार	सदस्य
(ङ)	वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि—01 सदस्य शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बेहट	सदस्य
(ट)	सदस्य सचिव श्रम निरीक्षक	

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम की धारा 14 में दिये गये कृत्यों को सम्पादित करेगी.

बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड डबरा

क्र. बफ-बंधक श्रम-श्रम-ग्वा.-2014-71.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, डबरा का निम्नानुसार गठन करता हूं :—

(क)	अनुविभागीय अधिकारी एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, डबरा	अध्यक्ष
(ख)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य—	
1.	श्री सुरेश राजे, निवासी रामगढ़ डबरा	सदस्य
2.	श्री जितेन्द्र राजा, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, डबरा	सदस्य
3.	श्री मुन्नी अगरैया, सगमा स्कूल के पास, वार्ड 13, डबरा	सदस्य
(ग)	सामाजिक कार्यकर्ता—	
1.	श्री प्रदीप माहेश्वरी, गुप्तापुरा, डबरा, अध्यक्ष, भारत विकास परिषद्	सदस्य
2.	श्री पवन अग्रवाल, पवन आर्ट अग्रसेन चौराहा, डबरा, सदस्य लासेंस क्लब, डबरा	सदस्य
(घ)	शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि—	
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डबरा	सदस्य
2.	क्षेत्रीय संगठक, आदिम जाति कल्याण विभाग, डबरा	सदस्य
3.	तहसीलदार, तहसील डबरा	सदस्य
(ङ)	वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि—	
	शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, डबरा	सदस्य
(ट)	सदस्य सचिव	सदस्य
	श्रम निरीक्षक	

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम की धारा 14 में दिये गये कृत्यों को सम्पादित करेगी.

बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड घाटीगांव, जिला ग्वालियर

क्र. बफ-बंधक श्रम-श्रम-ग्वा.-2014-72.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, घाटीगांव का निम्नानुसार गठन करता हूं :—

(क)	अनुविभागीय अधिकारी एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, घाटीगांव	अध्यक्ष
(ख)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य—	
1.	श्री राजेलाल पुत्र रमैया, निवासी नयापुरा, घाटीगांव, बिरला नगर, ग्वालियर	सदस्य
2.	श्री बेदूराम आदिवासी पुत्र धना, निवासी मोहना	सदस्य
3.	श्री अशोक पुत्र तीतुरिया, जाटव बरई	सदस्य
(ग)	सामाजिक कार्यकर्ता—	
1.	श्री संदीपसिंह सौलंकी पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी रायपुर	सदस्य
2.	श्री राघवेन्द्र मिश्रा पुत्र श्री देवेन्द्रदत्त मिश्रा, निवासी बरई	सदस्य
3.	श्रीमती मंजुलता मिश्रा पत्नी श्री राघवेन्द्र मिश्रा, निवासी बरई	सदस्य

(घ)	शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि—	
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद, बरई	सदस्य
2.	क्षेत्रीय संगठक, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
3.	तहसीलदार, घाटीगांव	सदस्य
(ङ)	वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि—	
	शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बरई	सदस्य
(ट)	सदस्य सचिव	
	श्रम निरीक्षक	

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम की धारा 14 में दिये गये कृत्यों को सम्पादित करेंगी.

बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड भितरवार

क्र. बफ-बंधक श्रम-श्रम-ग्वा.-2014-73.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ग्वालियर बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड, भितरवार का निम्नानुसार गठन करता हूं :—

(क)	अनुविभागीय अधिकारी एवं सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, भितरवार	अध्यक्ष
(ख)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य—	
1.	श्रीमती मुन्नीबाई जाटव, निवासी ग्राम किठौंदा	सदस्य
2.	श्री मुन्ना आदिवासी, ग्राम श्यामपुर	सदस्य
3.	श्री भगवानसिंह परिहार, ग्राम सहारन	सदस्य
(ग)	सामाजिक कार्यकर्ता—	
1.	श्री राजेन्द्र दिर्गरा, भितरवार	सदस्य
2.	श्री दीपक मोदी, भितरवार	सदस्य
(घ)	शासकीय/अशासकीय अभिकरणों के प्रतिनिधि—	
1.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भितरवार	सदस्य
2.	क्षेत्रीय संगठक, आदिम जाति कल्याण विभाग, भितरवार	सदस्य
3.	तहसीलदार, तहसील भितरवार	सदस्य
(ङ)	वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि—	
	शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भितरवार	सदस्य
(ट)	सदस्य सचिव	
	श्रम निरीक्षक	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, बंधक श्रम प्रथा समाप्ति अधिनियम की धारा 14 में दिये गये कृत्यों को सम्पादित करेंगी.

पी. नरहरि, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 21 मई 2014

क्र. न्या.लि.-बंधक श्रमिक-आठ-549-58.—बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) के प्रावधान के अन्तर्गत बंधक श्रमिक के कल्याण हेतु निम्नानुसार ''जिला स्तरीय सतर्कता समिति बुरहानपुर'' का गठन किया जाता है. ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तिथि से गठित समिति का कार्यकाल 02 (दो) वर्ष का होगा :—

जिला सतर्कता समिति, जिला बुरहानपुर

[धारा 13(2) अनुसार]

(क)	अध्यक्ष	कलेक्टर, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश)
(ख)	तीन सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम-निर्देशित किया गया है.	(1) पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर (3) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, बुरहानपुर.
(ग)	दो सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व बुरहानपुर जिला निवासी हैं. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री भगवानजी जाधव, निवासी लालबाग, जिला बुरहानपुर (2) श्रीमती संध्या दीपक श्रीमाली, निवासी नेपानगर, जिला बुरहानपुर
(घ)	तीन सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं व बुरहानपुर जिले के निवासी हैं. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री अनारसिंह सोलंकी (एस.टी.), निवासी बोरी बुजुर्ग, जिला बुरहानपुर. (2) श्री रामेश्वर सांखला (अ.जा.), निवासी राजपुरा, बुरहानपुर (3) श्रीमती कमलाबाई रामकिशन जामदेकर (एस.टी.), निवासी ग्राम तुकईथड, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर.
(ङ)	एक जो जिले में वित्तीय और प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता हैं.	(1) प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, बुरहानपुर

बंधक श्रमिक प्रथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(3) के प्रावधान के अन्तर्गत बंधक श्रमिक के कल्याण हेतु निम्नानुसार ''अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति'' बुरहानपुर एवं नेपानगर, जिला बुरहानपुर का गठन किया जाता है. ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तिथि से गठित समितियों का कार्यकाल 02 (दो) वर्ष का होगा :—

अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

[धारा 13(3) अनुसार]

(क)	अध्यक्ष	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बुरहानपुर (मध्यप्रदेश)
(ख)	तीन सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम-निर्देशित किया गया है.	(1) नगर पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर (मध्यप्रदेश). (3) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि अनुविभाग, बुरहानपुर

(ग)	दो सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व बुरहानपुर जिला निवासी हैं. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री प्रभाकर महाजन, निवासी मालीवाड़ा, बुरहानपुर (2) श्रीमती साधना पवार, निवासी नया मोहल्ला, बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर.
(घ)	तीन सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं व बुरहानपुर जिले के निवासी हैं (एक महिला सदस्य)	(1) श्री रामसिंह पालवी (अ.ज.जा.), निवासी अमुल्ला, जिला बुरहानपुर. (2) श्री रवि काकड़े, निवासी शिवाजी नगर, लालबाग, बुरहानपुर (3) श्रीमती सुनंदा संजय दादू (एस.सी.), निवासी देड़तलाई, जिला बुरहानपुर.
(ङ)	एक अधिकारी जिसे धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त हो और अनुविभाग में कार्यरत हों.	(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग, बुरहानपुर
(च)	एक सदस्य जो अनुविभाग के वित्तीय एवं प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.	(1) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बुरहानपुर

अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति नेपानगर, जिला बुरहानपुर

[धारा 13(3) अनुसार]

(क)	अध्यक्ष	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नेपानगर, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश).
(ख)	तीन सदस्य ग्रामीण विकास से संबंधित जिनका राज्य शासन द्वारा नाम-निर्देशित किया गया है.	(1) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), नेपानगर, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर. (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खकनार (मध्यप्रदेश). (3) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, खकनार, जिला बुरहानपुर
(ग)	दो सदस्य जो सामाजिक कार्यकर्ता व अनुविभाग निवासी हैं. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री राजु लोचन मिश्रा, निवासी नेपानगर, जिला बुरहानपुर (2) श्रीमती शिखा संजय विजयवर्गीय, निवासी नेपानगर, जिला बुरहानपुर.
(घ)	तीन सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं व अनुविभाग के निवासी हैं. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री किसन धांडे (एस.टी.), निवासी घघरला, जिला बुरहानपुर. (2) श्री संजय अहिरे (एस.सी.), निवासी नेपानगर, जिला बुरहानपुर. (3) श्रीमती सरला प्रवीण काटकर, निवासी नेपानगर, बुरहानपुर
(ङ)	एक अधिकारी जिसे धारा 10 के अधीन अधिकार प्राप्त और अनुविभाग में कार्यरत हों.	(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नेपानगर, जिला बुरहानपुर (मध्यप्रदेश).
(च)	एक सदस्य जो अनुविभाग के वित्तीय एवं प्रत्यय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है.	(1) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, खकनार

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 9 जून 2014

क्र. 96-5अ-एस.सी.-2-14.—एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, सतना, जिला सतना के लिए माननीय श्री शंकरलाल तिवारी, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, सतना के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विधायक के प्रतिनिधि का नामनिर्दिष्ट किया जाता है :—

क्र.	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता	प्राप्त प्रस्ताव	पद जिसके लिये नामनिर्दिष्ट किये गये
1	श्री राजेन्द्र शर्मा पिता श्री रामलाल शर्मा, कृषि उपज मण्डी, सतना	माननीय विधायक, वि.स.क्षे., सतना	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति, सतना

क्र. 97-5अ-एस.सी.-2-14.—एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिले के अधीन कृषि उपज मण्डी समिति, अमरपाटन, जिला सतना के लिए माननीय डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, विधायक, विधान सभा क्षेत्र, अमरपाटन के प्रस्तावानुसार निम्नानुसार विधायक के प्रतिनिधि का नामनिर्दिष्ट किया जाता है :—

क्र.	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम व पता	प्राप्त प्रस्ताव	पद जिसके लिये नामनिर्दिष्ट किये गये
1	श्री सनत कुमार जैन पिता श्री सोमचन्द्र जैन, निवासी अमरपाटन, वार्ड क्र. 15, अमरपाटन, जिला सतना, म. प्र.	माननीय विधायक, वि.स.क्षे., अमरपाटन.	प्रतिनिधि कृषि उपज मण्डी समिति, अमरपाटन.

एम. एल. मीणा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, श्रम, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश

उमरिया, दिनांक 10 जून 2014

क्र. 146-149-श्रम वि.-2006.—बंधक श्रम प्रथा अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रायोजन के लिये जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है :—

(क)	अध्यक्ष	प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, जिला कार्यालय, उमरिया, म. प्र.
(ख)	3 (तीन) सदस्य अनुसूचित जनजाति व जिले के निवासी हों.	(1) श्री शिवनारायण सिंह छादा कला, नौरोजाबाद (2) श्री संग्राम सिंह, मझुआ टोला करकेली (बस्ती) (3) श्री श्याम सिंह/श्री गयादीन सिंह, ग्रा. कुचवाही, पो. ताला, तह. मानपुर.
(ग)	सामाजिक कार्यकर्ता	(1) श्रीमती रंजना दीक्षित (अधिवक्ता), वार्ड नं. 10, उमरिया (2) श्री अंशू भट्ट/श्री संतोष भट्ट (अधिवक्ता), वार्ड नं. 10, उमरिया.
(घ)	राज्य शासन द्वारा नामांकित 3 अधिकारी	(1) पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया (3) सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, शाखा उमरिया
(ङ)	वित्तीय संस्था का प्रतिनिधि	(1) लीड बैंक मैनेजर, जिला उमरिया.

सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 11 जून 2014

क्र. बंधक श्रमिक-2014-422.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-589-2014-ए-सोलह, भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति, नीमच का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, जिला नीमच

क्र. (1)	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम (2)	पद (3)
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4	जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग	सदस्य
	अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य	
5	श्री कैलाश पिता रमेशचन्द्र बोरीवाल, नि. नीमच	सदस्य
6	श्री पन्नालाल पिता मोतीलाल, नि. मोडी, तह. जावद	सदस्य
7	श्री महेश पिता नानूराम बजेरिया, नि. ग्राम पालरी, तह. मनासा	सदस्य
	सामाजिक कार्यकर्ता	
8	श्री चतरसिंह पिता मदनसिंह जी राजपूत, नि. नीमच	सदस्य
9	श्री पंकज पिता पवनजी दुबे, निवासी नीमच	सदस्य
10	प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, नीमच	सदस्य

नीमच, दिनांक 13 जून 2014

क्र. बंधक श्रमिक-2014-433.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-589-2014-ए-सोलह, भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड नीमच का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, नीमच

क्र. (1)	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम (2)	पद (3)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नीमच	अध्यक्ष
	अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य	
2	श्री अनिल पिता श्री भागचंद भील, जेसिंगपुरा, नीमच	सदस्य
3	श्री देवचंद पिता श्री बंशीलाल जाटव, नि. जेसिंगपुरा, नीमच	सदस्य
4	श्री यशवंत पिता श्री बालाराम यादव, निवासी नीमच	सदस्य
	सामाजिक कार्यकर्ता	
5	श्री हरिश पिता श्री बाबूलाल मंगल, नूतन स्कूल के पास, नीमच	सदस्य
6	श्री निलेश पिता श्री बंशीलाल पाटीदार, नीमच	सदस्य
7	तहसीलदार, नीमच	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नीमच	सदस्य
9	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), नीमच	सदस्य
10	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, नीमच	सदस्य

क्र. बंधक श्रमिक-2014-440.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-589-2014-ए-सोलह, भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड मनासा का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, मनासा

क्र. (1)	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम (2)	पद (3)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मनासा	अध्यक्ष
	अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य	
2	श्री कालूराम पिता श्री खेमाजी, निवासी ग्राम कंजार्डा	सदस्य
3	श्री नानालाल पिता श्री भेरूलाल, निवासी ग्राम धाकड़खेड़ी	सदस्य
4	श्री हीरालाल पिता श्री गौरीलाल भांभी, ग्राम धरवाड़, तह. मनासा	सदस्य
	सामाजिक कार्यकर्ता	
5	श्री केशव पिता श्री रामचन्द्र उपाध्याय, नि. अक्षत नगर, मनासा	सदस्य
6	श्री कैलाश पिता श्री जगन्नाथ पाराशर, नि. ग्राम. कंजार्डा मनासा	सदस्य
7	तहसीलदार, मनासा	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मनासा	सदस्य
9	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), मनासा	सदस्य
10	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, मनासा	सदस्य

क्र. बंधक श्रमिक-2014-447.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-589-2014-ए-सोलह, भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014 के परिपालन में बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अनुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति उपखण्ड जावद का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :—

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, जावद

क्र. (1)	अध्यक्ष/सदस्यों के नाम (2)	पद (3)
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावद	अध्यक्ष
	अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य	
2	श्री विनोद पिता श्री बाबूलाल, नि. ग्रा. कोज्या, तह. जावद	सदस्य
3	श्री बाल किशन पिता श्री गिरधारीलाल, नि. ग्रा. तारापुर	सदस्य
4	श्री मुकेश पिता श्री ब्रदीलाल, नि.ग्रा. तारापुर	सदस्य
	सामाजिक कार्यकर्ता	
5	श्री अशोक पिता श्री मदनलाल, नि. जावद	सदस्य
6	श्री संजय नामदेव पिता श्री घनश्याम नि. कसेरा बाजार, जावद	सदस्य
7	तहसीलदार, जावद	सदस्य
8	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जावद	सदस्य
9	अनुविभागीय अधिकारी (कृषि), जावद	सदस्य
10	प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, जावद	सदस्य

विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 12 जून 2014

क्र. क-न्या.लि.-बंधक-2014-422-480.—बंधक श्रमिक तथा समाप्ति अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) के प्रावधानों के अनुसार जिला खण्डवा में जिला सतर्कता समिति एवं उपखण्डीय सतर्कता समितियों का पुनर्गठन वर्ष 2014 में नामित तिथि से दो वर्ष के लिये निम्नानुसार किया जाता है :—

जिला सतर्कता समिति धारा 13(2) जिला खण्डवा

(अ)	एक सभापति	जिला दण्डाधिकारी, खण्डवा
(ब)	तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो खण्डवा जिले के निवासी है. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री रामलाल पिता गणपत गोलकर (अ.ज.जा.) मु. धरोना, पो. आरूद. तह. पंधाना, जिला खण्डवा. (2) श्री जगदीश पिता गणपत ऐकले (अ.जा.) मु. पो. पंधाना, जिला खण्डवा. (3) श्रीमती हंसमुखी पति श्री भगवानसाय जोशी पडावा रोड, खण्डवा, जिला खण्डवा.
(स)	दो सामाजिक कार्यकर्ता जो खण्डवा जिले के निवासी हैं.	(1) श्री धर्मेन्द्र पिता फकीरचंद बजाज बॉम्बे बाजार, खण्डवा (2) श्री ब्रजेश पिता जगदीशप्रसाद त्यागी, माता चौक, खण्डवा
(द)	तीन शासकीय सदस्य	(1) पुलिस अधीक्षक, खण्डवा (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा (3) सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण, खण्डवा.
(इ)	एक वित्तीय संस्था प्रतिनिधि	(1) अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, आनंदनगर, खण्डवा

उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13(3) उपखण्ड, खण्डवा

(अ)	एक सभापति	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खण्डवा
(ब)	तीन अशासकीय सदस्य अनुं. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री रामसिंह पिता स्व. नयनसिंह रावत (अ.ज.जा.) वत्सला विहार खण्डवा, जिला खण्डवा. (2) श्री नन्दलाल पिता श्यामलाल कटारे (अ.जा.) माताचौक खण्डवा, जिला खण्डवा. (3) श्रीमती अनिता पति श्यामदास शाह बाम्बे बाजार, खण्डवा
(स)	दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी है	(1) श्री भानुप्रतापसिंह पिता श्रीरामसिंह ग्राम कोटवाड़ा, जिला खण्डवा. (2) श्री पंकज पिता शंकरलाल गुप्ता, ग्राम कालमुखी, जिला खण्डवा.
(द)	तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित है.	(1) तहसीलदार, खण्डवा (2) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), खण्डवा (3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं., खण्डवा
(इ)	एक सदस्य जो अनुविभाग के अंतर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है.	(1) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा

उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13(3) उपखण्ड, नया हरसूद (छनेरा)

(अ)	एक सभापति	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नया हरसूद (छनेरा)
(ब)	तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री बाबुलाल पिता सानू (अ.ज.जा.), निवासी ग्राम बोरखेड़ा, तह. हरसूद, जिला खण्डवा. (2) श्री मनोहर गाडगे (अ.जा.), निवासी सिरपुर, तह. खालवा, जिला खण्डवा. (3) श्री मनोहर पिता मांगीलाल, ग्राम डोटखेड़ा, तह. खालवा, जिला खण्डवा.
(स)	दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी है	(1) श्री जगदीश कुमार, निवासी खालवा, तह. हरसूद, जिला खण्डवा. (2) श्री दीपक शर्मा, निवासी हरसूद, तह. हरसूद, जिला खण्डवा
(द)	तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित है.	(1) तहसीलदार हरसूद (2) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, हरसूद. (3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.पं., हरसूद
(इ)	एक सदस्य जो अनुविभाग के अंतर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है.	(1) प्रबंधक, सहकारी संस्था, नया हरसूद (छनेरा) जिला खण्डवा

उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13(3) उपखण्ड, पंधाना

(अ)	एक सभापति	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पंधाना
(ब)	तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री प्रकाश पिता ताराचंद एकले, पंधाना (2) श्री सेवकराम पिता रूखडू भील, पंधाना (3) श्रीमती आशाबाई पति शंकर, निवासी कुसुबिया, तह. पंधाना, जिला खण्डवा.
(स)	दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी है	(1) श्रीमती ज्योति पति सुनील जायलवाल, पंधाना (2) श्री सौरभ पिता हरिओम गंगराड़े, पंधाना
(द)	तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित है.	(1) थाना प्रभारी, पंधाना (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं., पंधाना (3) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, पंधाना
(इ)	एक सदस्य जो अनुविभाग के अंतर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है.	(1) प्रबंधक, कापरेटिव्ह बैंक, शाखा पंधाना, जिला खण्डवा

उपखण्डीय सतर्कता समिति धारा 13(3) उपखण्ड, पुनासा

(अ)	एक सभापति	अनुविभागीय दण्डाधिकारी, पुनासा
(ब)	तीन अशासकीय सदस्य अनु. जाति/अनु.ज.जा. जो अनुविभाग के निवासी है. (एक महिला सदस्य)	(1) श्री जव्हारीलाल पिता मनोहर (अ.ज.जा.), ग्राम केलवा बुजुर्ग, जिला खण्डवा. (2) श्री गंगाराम पिता राजाराम (अ.जा.) ग्राम मोरघड़ी, जिला खण्डवा. (3) श्रीमती अनीता पति सुरेश श्रीवास्तव, वार्ड क्रमांक 1, मूंदी, जिला खण्डवा.

(स)	दो सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हैं	(1) श्री शिवराजसिंह पिता मनोहरसिंह चौहान, ग्राम भारतवाड़ी, जिला खण्डवा. (2) श्री हरी पिता द्वारकाप्रसाद पाटीदार, निवासी पुनासा, जिला खण्डवा.
(द)	तीन शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं का करने वाले व्यक्ति, जो ग्रामीण विकास से संबंधित है.	(1) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), पुनासा (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पं., पुनासा (3) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग अनुभाग, पुनासा
(इ)	एक सदस्य जो अनुविभाग के अंतर्गत वित्तीय साख संस्था का प्रतिनिधित्व करता है.	(1) उप कोषालय अधिकारी, नर्मदानगर, जिला खण्डवा

शिल्पा गुप्ता, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 25 जून 2014

क्र. बंधक-श्रम-2014-1046.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 1858-1999-13-ए-16-भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2013 में दिये गये निर्देशानुसार मैं, नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, खरगोन, जिला खरगोन में बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 उपधारा (2) के अन्तर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का निम्नानुसार पुनर्गठन करता हूँ :—

अनुसूची
जिला स्तरीय सतर्कता समिति

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम (3)	पद (4)
1	खरगोन	(क) जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी	अध्यक्ष
		(ख) पुलिस अधीक्षक	
		(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
		(3) सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण	सदस्य
		(4) महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक खरगोन	सदस्य
		(ग) अनुसूचित जनजाति	
		(1) श्री वेस्ता पटेल, झिरन्या (मो. 9424059004)	सदस्य
		(2) श्री गजेनु पटेल, बिस्टान (मो. 9425415273)	सदस्य
		(घ) अनुसूचित जाति	
		(1) श्री रितेश पिता जगदीश रोकड़े (मो. 9425087261)	सदस्य
		(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता	
		(1) श्री दशरथसिंह पटेल, सानेडा, कसरावद (मो. 9826493191)	सदस्य
		(2) श्री रणजीतसिंह डंडीर, ज्योती नगर खरगोन (मो. 9425333307).	सदस्य
		(ण) वित्तीय साख संस्था	
		(1) महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित, खरगोन	सदस्य

अनुसूची
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम (3)	पद (4)
1	खरगोन	(1) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खरगोन	अध्यक्ष
		(2) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	सदस्य
		(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पंचा. खरगोन	सदस्य
		(4) अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य
		(ग) अनुसूचित जनजाति	
		(1) श्री विनोद पिता अर्जुन सिंह, बी-12, लक्ष्मीनगर, खण्डवा रोड, खरगोन.	सदस्य
		(2) बापुसिंह पिता सरक्षासिंग परिहार, नागझिरी	सदस्य
		(घ) अनुसूचित जाति	
		(1) श्री नरेन्द्र पिता रमेश कोचले, जामली	सदस्य
		(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता	
		(1) श्री दिनेश पिता ऐडुजी, टेमला	सदस्य
		(2) श्री राजाराम पिता नाना, इच्छापुर	सदस्य
		(1) शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित, खरगोन	सदस्य

अनुसूची
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम (3)	पद (4)
2	बड़वाह	(1) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, बड़वाह	अध्यक्ष
		(2) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), बड़वाह	सदस्य
		(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पंचा. बड़वाह	सदस्य
		(4) अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा महेश्वर	सदस्य
		अनुसूचित जनजाति	
		(1) श्री कालुराम कनासे, ग्राम थरवर, बड़वाह	सदस्य
		(2) श्री सखाराम, बड़गांव, तह. सनावद	सदस्य
		अनुसूचित जाति	
		(1) श्री भागीरथ मालेकर, सालीखेड़ा, तह. बड़वाह	सदस्य
		(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता	
		(1) श्री सुभाष पिता नरहरी पुराणिक, बड़वाहा	सदस्य
		(2) श्री भारतसिंह पंवार, बासवा, तह. सनावद	सदस्य
		(ण) वित्तीय साख संस्था	
		(1) शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित, बड़वाह	सदस्य

अनुसूची
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम (3)	पद (4)
3	कसरावद	(1) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कसरावद	अध्यक्ष
		(2) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मण्डलेश्वर	सदस्य
		(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पंचा. कसरावद	सदस्य
		(4) वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, कसरावद	सदस्य
		अनुसूचित जनजाति	
		(1) श्री रेमसिंह पिता मालसिंह चौहान, भोपालपुरा, तह. कसरावद.	सदस्य
		(2) श्री राजेन्द्र पिता गोविंद सागवी, तह. कसरावद	सदस्य
		अनुसूचित जाति	
		(1) श्री कालू पिता डालुराम, खामखेड़ा, तह. कसरावद	सदस्य
		(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता	
		(1) श्री प्रकाश रायली, कसरावद	सदस्य
		(2) श्री महादेव पटेल, बालसमुद, तह. कसरावद	सदस्य
		(ण) वित्तीय साख संस्था	
		(1) शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित, कसरावद	सदस्य

अनुसूची
अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति

क्र. (1)	जिले का नाम (2)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम (3)	पद (4)
4	मण्डलेश्वर	(1) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मण्डलेश्वर	अध्यक्ष
		(2) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	सदस्य
		(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पंचा. महेश्वर	सदस्य
		(4) अनु. अधिकारी, कृषि महेश्वर	सदस्य
		अनुसूचित जनजाति	
		(1) श्री मंशाराम गेंदालाल, ग्राम काछीकुआ, महेश्वर	सदस्य
		(2) श्री सीताराम बिशन, मेलखेड़ी, तह. महेश्वर	सदस्य
		अनुसूचित जाति	
		(1) श्री संतोष बोखार, ग्राम पाडल्या खु., महेश्वर	सदस्य
		(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता	
		(1) श्री पी. के. गुप्ता, बाजार चौक, महेश्वर	सदस्य
		(2) श्रीमती तरूणा तंवर, मण्डलेश्वर	सदस्य
		(ण) वित्तीय साख संस्था	
		(1) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मार्यादित, मण्डलेश्वर	सदस्य

अनुसूची

अनुविभाग स्तरीय सतर्कता समिति

क्र.	जिले का नाम	नामांकित अध्यक्ष/सदस्यों का नाम	पद
(1)	(2)	(3)	(4)
5	भीकनगांव	(1) अनुविभागीय दण्डाधिकारी, भीकनगांव	अध्यक्ष
		(2) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)	सदस्य
		(3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ज.पंचा. भीकनगांव	सदस्य
		(4) अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी	सदस्य
		अनुसूचित जनजाति	
		(1) श्री आशाराम गुलाबसिंह बिल्लौरे, झिरन्या	सदस्य
		(2) श्री विजेन्द्र सिसौदिया, झिरन्या	सदस्य
		अनुसूचित जाति	
		(1) श्री मेवालाल पिपल्दे, भीकनगांव	सदस्य
		(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता	
		(1) श्री विपदसिंह सोलंकी, भीकनगांव	सदस्य
		(2) श्री सुरेन्द्रसिंह पंवार, नुरीयाखेड़ी, भीकनगांव	सदस्य
		(ण) वित्तीय साख संस्था	
		(1) शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा, भीकनगांव	सदस्य

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) (स्थानीय निर्वाचन), जिला उज्जैन (म. प्र.)

उज्जैन, दिनांक 26 जून 2014

क्र. -स्था.निर्वा.-मण्डी-12-स्टोर-26-2014-294.—एतद्द्वारा, सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 11 के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत कॉलम 3 में दर्शित सहकारी विपणन समिति, मर्यादित के निम्न सदस्यों को कालम दो में दर्शित कृषि उपज मण्डी समिति के लिये नामनिर्दिष्ट करता हूं :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	सहकारी विपणन समिति मर्यादित
(1)	(2)	(3)
1	कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन	श्री आनन्दीलाल जैन, अध्यक्ष, सह. विपणन समिति, उज्जैन
2	कृषि उपज मण्डी समिति, बड़नगर	श्री भगवान सिंह, उपाध्यक्ष सह विप. एवं प्रक्रिया समिति, बड़नगर
3	कृषि उपज मण्डी समिति, महिदपुर	श्री गुमान सिंह राजपूत, सह. विप. संस्था मर्या., महिदपुर
4	कृषि उपज मण्डी समिति, तराना	श्री सोदान सिंह सिसोदिया, विप. सह. संस्था मर्या., तराना
5	कृषि उपज मण्डी समिति, खाचरोद	श्री लालसिंह-भेरूसिंह जी, संचालक, सह. विप. संस्था, खाचरोद
6	कृषि उपज मण्डी समिति, नागदा	श्री युवराज सिंह-लक्ष्मणसिंह, संचा. सह. विप. संस्था, खाचरोद
7	कृषि उपज मण्डी समिति, उन्हेल	श्री करणसिंह-देवजी, संचालक सह. विप. संस्था, खाचरोद

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 28 जून 2014

क्र. 1574-क्षे.प.अ.-2014.—अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, जबलपुर के प्रस्ताव अनुसार जबलपुर नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर जन सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आटो स्टैंड घोषित किया जाना है.

अत: मैं, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117, 127 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 203 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को आटो स्टैण्ड हेतु घोषित करता हूँ :—

1. देशबन्धु काम्पलेक्स के बाजू से नाले के ऊपर कंक्रीट पर आधे हिस्से पर (नौदरा चौक)
2. तीन पत्ती पेट्रोलपंप के बाजू से
3. सेन्ट नार्वट स्कूल के बाजू से पेट्रोल पम्प के सामने
4. मालगोदाम चौराहा
5. दीनदयाल बस स्टैण्ड के सामने
6. रांझी पुलिस पेट्रोल पम्प के पास
7. दमोह नाका बस स्टैण्ड
8. रामपुर चौक
9. ग्वारीघाट
10. आधारताल तिराहा
11. रद्दी चौकी तिराहा
12. रानीताल स्टेडियम के पास

आदेश का पालन पुलिस अधीक्षक, जबलपुर यातायात पुलिस के माध्यम से करावें तथा उक्त स्थानों पर ''आटो स्टैंड'' संकेत चिन्ह नगर निगम, जबलपुर के माध्यम से लगाये जावें तथा आदेश का प्रचार-प्रसार किया जावे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

क्र. 1575-क्षे.प.अ.-2014.—अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, जबलपुर के प्रस्ताव अनुसार जबलपुर नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर जन सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के पार्किंग स्थल घोषित किया जाना है.

अत: मैं, विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 117, 127 सहपठित मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 203 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग हेतु घोषित करता हूँ :—

(1) **दो पहिया वाहन पार्किंग स्थल :**

1.	अंगद शॉप से राजन शैल फोटो कापी तक	(कार्तिक होटल के दूसरी ओर)
2.	डोमिनो पिज्जा के सामने	(रसल चौक के पास)
3.	रूपकला स्टूडियों से मकसूद शॉकप तक	(रसल चौक के पास)
4.	अमर शॉकप से गुरूनानक किराना तक	(रसल चौक के पास)
5.	पारूमल ज्वेलर्स से सनबीन तक	(रसल चौक के पास)
6.	नीरज पेथोलाजी से एशियन सिल्क शॉप तक	(रसल चौक के पास)
7.	जबलपुर आटो डील से करन शूज तक	(रसल चौक के पास)
8.	होंडा शोरूम के समाने	(रसल चौक के पास)
9.	बाटा शो रूम से विजय स्टोर्स तक	(सिविक सेन्टर)

10.	मनी मेडीकोज से नौदरा ब्रिज पुलिस चौकी तक	(राजीवगांधी चौक नौदरा)
11.	सुपर हैण्डलूम से विषम मोबाइल तक	(राजीव चौक के पास)
12.	सेन्टर प्लाजा के सामने	(नौदरा ब्रिज के पास)
13.	ऊषा ईन्टरप्राइजेस से आर. के. पैथोलाजी तक	(मालवीय चौक के पास)
14.	शबनम हर्वल से इलेवन हाट बेकर्स तक	(सिविक सेन्टर चौपाटी के सामने)
15.	गुलाटी पेट्रोल पंप से गुरूद्वारा रोड	(गुलाटी पंप के रोड के दूसरी ओर गोरखपुर)
16.	गुलाटी पेट्रोल पंप से अजय क्लासेस तक	(गुलाटी पंप के रोड के दूसरी ओर गोरखपुर)
17.	गुलाटी पेट्रोल पंप तिराहे से तारा ज्वेलर्स तक	—''—

(2) **चार पहिया वाहन पार्किंग :**

1.	नगर निगम कार्यालय के सामने दोनों ओर रोड साइड	(नगर निगम के दोनों ओर)
2.	दीक्षित कॉम्पलेक्स से राजन शैल फोटो कापी तक	(कार्तिक होटल के दूसरी ओर)
3.	मकसूद शॉकप से होटल अरिहन्त तक	(रसल चौक के पास)
4.	गुरूनानक किराना से पारूमल ज्वेलर्स तक	(रसल चौक के पास)
5.	रसल चौक पुलिया से नीरज पैथोलाजी तक	(रसल चौक के पास)
6.	महर्षि विद्यालय से हर्ष ऑटो डील	(पुल नं. 4 के पास)
7.	नमन आटो डील से कुबेर ऑटो डील तक	(पुल नं. 4 के पास)
8.	बाटा शोरूम से देना बैंक तक	(सिविक सेन्टर मढ़ाताल)
9.	अनुश्री के सामने से मनी मेडीकोज तक	(सिविक सेन्टर मढ़ाताल)
10.	विषम मोबाइल से पंचाली गारमेन्ट तक	(राजीव गांधी चौक)
11.	मुलतानी होजरी के सामने	(ज्योति टाकीज)
12.	आर. के. पैथोलाजी से ऊषा तक	(मालवीय चौक)
13.	सीआईएमआईटी से करी हाउस	(समदडिया मॉल के बाजू से)
14.	कार्तिक हॉटल से बिरला सनलाईट	(तयैबली चौक)
15.	कलेक्ट्रेट बाउण्ड्रीवाल से लगकर	(हाई कोर्ट चौराहा)
16.	गुलाटी पेट्रोल पम्प से गुरूद्वारा तक	(गोरखपुर)
17.	अजय क्लासेस से राधाकृष्ण ज्वेलर्स तक	(गोरखपुर)
18.	तारा ज्वेलर्स से कपूर क्रासिंग तक	(गोरखपुर)
19.	मॉडल रोड के दोनों ओर पार्किंग लाईन डालकर	(माडल रोड)
20.	कलेक्ट्रेट से पुलिस कन्ट्रोल रूम ओमती तक	(ओमती)

(3) **मिश्रित पार्किंग स्थल :**

1.	बालाजी गमला स्टैण्ड से महापौर बंगले तक	(सिविक सेन्टर नगर निगम)
2.	मढ़ाताल नायडू व्यायाम शाला के पास	(सिविक सेन्टर नगर निगम)

3.	अंजूमन स्कूल के सामने वाले मार्केट में	(होटल मयुर के सामने)
4.	मयूर होटल के बाजू से प्रियदर्शनी मार्केट तक	(सिविक सेन्टर मालवीय चौक)
5.	समदडिया माल के तीनों तरफ	(सिविक सेन्टर)
6.	जे. डी. मार्केट समदडिया की तरफ	(सिविक सेन्टर)
7.	खण्डेलवाल फर्नीचर शो रूम के सामने	(करम चंद चौक)
8.	ओमती से विक्टोरिया जाने वाले मार्ग पर दोनों ओर	(बड़ी ओमती चौक)
9.	रोशनी चश्मा से बून चश्में तक	(करम चंद चौक)
10.	देशबन्धु काम्पलेक्स के बाजू से नाले के ऊपर कंक्रीट पर	(आधे हिस्से पर) (नौदरा चौक)
11.	राय फार्मेसी से मिकी फोटो कापी तक	(पुलिस कन्ट्रोल रूम के सामने)
12.	होमगार्ड मुख्यालय के सामने	(सिविल लाईन)
13.	इलाहाबाद बैंक चौराहे से सांसद बंगले तक रोड के दोनों ओर	(सिविल लाईन)
14.	श्याम टॉकीज तिराहे से गोलबाजार तक रोड के दोनों बाजू से	(लार्डगंज)
15.	नेशनल अस्पताल के सामने	(लार्डगंज)
16.	गोल बाजार के चारों ओर	(लार्डगंज)
17.	खण्डेलवाल फर्नीचर से प्रेस काम्पलेक्स रोड के दोनों ओर	(सिविक सेन्टर)
18.	प्रभु वंदना से साहिल एक्स-रे तक	(सिविक सेन्टर)
19.	रद्दी चौकी से आधारताल रोड के दोनों ओर	(रद्दी चौकी)
20.	रद्दी चौकी से दमोह नाका तरफ रोड के दोनों ओर	(रद्दी चौकी)
21.	रानीताल चौक से यादव कालोनी तक रोड के किनारे	(रानीताल)
22.	श्रीनाथ की तलैया	
23.	सतना बिल्डिंग के रोड के दूसरी तरफ	(मालवीय चौक)
24.	रूपाली शोरूम से बड़ा फुहारा रोड के दोनों ओर	(बड़ा फुहारा)
25.	बड़ा फुहारा से कमानिया गेट तक	
26.	विक्टोरिया अस्पताल के रोड के दूसरी ओर	

(4) **पूर्व से घोषित पार्किंग को समाप्त करने संबंधी :**

पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2008 द्वारा यातायात थाना जबलपुर के सामने पार्किंग स्थल घोषित किया गया था लेकिन इस रोड को डिवाइडर डालकर दो हिस्सो में विभक्त किया गया है. इसलिये अब पार्किंग के लिये जगह नहीं बची है, अतः इस घोषित पार्किंग स्थल को समाप्त किया जाता है. इसी तरह लार्डगंज थाने के सामने जगह न होने से घोषित पार्किंग स्थल को समाप्त किया जाता है.

(5) पूर्व में दिनांक 12 दिसम्बर 2008 को घोषित नो पार्किंग जोन को पार्किंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है. अतः नो पार्किंग क्षेत्र समाप्त किया जाता है :—

1. छोटी लाईन फाटक से कटंगा तिराहा
2. मालवीय चौक से करमचंद चौक
3. मालवीय चौक से सुपर मार्केट
4. तुलाराम चौक से बड़ी ओमती
5. बड़े फुहारा से कमानिया गेट
6. बड़ा फुहारा से लार्डगंज

आदेश का पालन पुलिस अधीक्षक, जबलपुर यातायात पुलिस के माध्यम से करावें तथा उक्त स्थानों पर ''पार्किंग'' संकेत चिन्ह नगर निगम, जबलपुर के माध्यम से लगाये जावें तथा आदेश का प्रचार प्रसार किया जावे.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

विवेक पोरवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 2 जुलाई 2014

क्र. श्रम-2014-301.—बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगर-मालवा बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिए बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करता हूं :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, आगर-मालवा

1	धारा 13(2)ए-अपर जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	धारा 13(2)बी-अजा/अजजा/के सदस्य :—	
	(1) श्री बलराम भिलाला, नि. कानड़, जिला आगर-मालवा	सदस्य
	(2) श्री गंगाराम बेगाना, नि. वार्ड क्र. 7, नलखेड़ा	सदस्य
	(3) श्री दुलेचंद्र मालवीय, नि. ग्राम सांगाखेड़ी, तह. बडौद, जिला आगर-मालवा	सदस्य
3.	धारा 13(2) सी-जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :—	
	(1) श्री अजय जैन मारूबर्डिया, नि. बडौद रोड, आगर	सदस्य
	(2) श्री गोवर्धनलाल शुक्ला, नि. वार्ड क्र. 1, सुसनेर	सदस्य
	(3) श्रीमती उर्मिला अरोरा, नि. झण्डा चौक, छावनी, आगर	सदस्य
4.	धारा 13(2) डी-ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य :—	
	(1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर	सदस्य
	(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आगर-मालवा	सदस्य
	(3) जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, आगर-मालवा	सदस्य
5.	धारा 13(2) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—	
	(1) जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, आगर-मालवा	सदस्य

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड आगर-बडौद

1	धारा 13(3)ए-अपर जिला मजिस्ट्रेट, आगर	अध्यक्ष
2.	धारा 13(3)बी-अजा/अजजा/के सदस्य :—	
	(1) श्री धीरज तंवर, नि. पुराना बस स्टैण्ड, आगर	सदस्य
	(2) श्री रघु समरावथ, नि. ग्राम करनालिया,तह. बडौद, जिला आगर-मालवा	सदस्य
	(3) श्री गोवर्धन मालवीय, नि. ग्राम लाला, तह. बडौद, जिला आगर-मालवा	सदस्य
3.	धारा 13(3) सी-जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :—	
	(1) श्री महेन्द्र माहेश्वरी, नि. सदर बजार, छावनी, आगर	सदस्य
	(2) श्री मनोज जैन, निवासी नाना बाजार, आगर	सदस्य
	(3) श्रीमती चंद्रमाणी परमार, नि. बस स्टैण्ड के पीछे, उज्जैन रोड, आगर	सदस्य

4. धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य :—
   (1) तहसीलदार, जिला आगर-मालवा — सदस्य
   (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आगर — सदस्य
   (3) सहायक यंत्री, ग्रामीण यंत्रीकी सेवा, आगर — सदस्य

5. धारा 13(2) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—
   (1) प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, आगर — सदस्य

6. धारा 13(2) एफ-धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
   (1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आगर.

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड सुसनेर-नलखेड़ा

1. धारा 13(3)ए-उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुसनेर-नलखेड़ा — अध्यक्ष

2. धारा 13(3)बी-अजा/अजजा के सदस्य :—
   (1) श्री राधेश्याम जादमे नि. वार्ड क्र. 10, सुसनेर — सदस्य
   (2) श्री विक्रम कलोनिया, नि. वार्ड क्र 10, सुसनेर — सदस्य
   (3) श्री हिरालाल देवड़ा, नि. ग्राम लोगड़ी, तह. सुसनेर, आगर — सदस्य

3. धारा 13(3) सी-जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :—
   (1) श्री रतनसिंह परमार, नि. वार्ड क्र. 10, सुसनेर — सदस्य
   (2) श्री संजय कुमार फाफरिया, नि. वार्ड क्र. 5, नलखेड़ा — सदस्य
   (3) श्रीमती आसमा खाँ पति नौशेर खाँ, नि. वार्ड क्र. 11, सुसनेर — सदस्य

4. धारा 13(3) डी-ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य :—
   (1) तहसीलदार, जिला सुसनेर-नलखेड़ा — सदस्य
   (2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सुसनेर-नलखेड़ा — सदस्य
   (3) सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सुसनेर-नलखेड़ा — सदस्य

5. धारा 13(2) ई-वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—
   (1) प्रबंधक, को-आपरेटिव बैंक, शाखा, सुसनेर-नलखेड़ा — सदस्य

6. धारा 13(2) एफ-धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
   (1) उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुसनेर-नलखेड़ा.

डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 2 जुलाई 2014

क्र. क-1334-भू-अभिलेख-2014.—म. प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संहिता की धारा 68, 70, 72, 107, 108, 109, 110, 114, 118, 119, 120, 124, 125, 129, 130, 131, 243, 244, 245 तथा 246 के अधीन राजस्व अधिकारी की शक्तियां उक्त संहिता की धारा 108 के अधीन विलीनीकृत ग्राम कुलुवा उर्फ मारूताल के आबादी कृषि भूमि एवं अन्य भूमियों के भू-अभिलेख तैयार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014

क्र. एफ-6-48-2014-सात-नजूल.—राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समय-समय पर जो स्थाई पट्टे जारी किये गये हैं, उनकी अवधि का अवसान हो जाने के बाद भी उनका नवीनीकरण नहीं हो सका है. ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें नवीनीकरण के प्रकरण विचाराधीन हैं किन्तु स्थाई पट्टों की शर्तों का उल्लंघन/अपालन के प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उनका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है और न ही ऐसी भूमियों पर पट्टावधि का अवसान हो जाने के परिणामस्वरूप पुनर्प्रवेश (re-entry) की कार्यवाही की जा रही है. ऐसे मामलों में पट्टेदार निरंतर ऐसी भूमि का उपभोग कर रहा है, दूसरी ओर स्थाई पट्टों का नवीनीकरण नहीं हो पाने के कारण कतिपय पट्टेदार जो अपने पट्टे के भू-खंड को विक्रय, दान या अन्यथा अंतरित करना चाहते हैं, वे भी अंतरण नहीं कर पा रहे हैं. साथ ही भू-भाटक के रूप में शासन को होने वाली निरंतर आय भी अवरुद्ध है.

अतएव समय-समय पर जारी किए स्थाई पट्टे चाहे ऐसे पट्टे तत्कालीन विधि/अधिनियम/नियम/परिपत्र के अन्तर्गत किसी भी प्राधिकारी के द्वारा दिये गये हों, विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 6-75-सात-नजूल-2001, दिनांक 4-5-2002 एवं समय-समय पर तत्संबंधी जारी निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए स्थाई पट्टों के नवीनीकरण तथा शर्त उल्लंघन के प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:—

स्थाई पट्टों के नवीनीकरण तथा स्थाई पट्टों की शर्त उल्लंघन/अपालन के मामलों के निराकरण की प्रक्रिया—

(1) भूमि आवंटन के सभी प्रकरणों में स्थाई पट्टे के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन के मामलों में इस परिपत्र के अनुसरण में नवीनीकरण एवं उल्लंघन के शमन (compound) के लिए जिला कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर "प्राधिकृत अधिकारी" होंगे.

(2) पट्टेदार स्थाई पट्टे की अवधि के अवसान की तारीख से एक वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान कभी भी पट्टे के नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा.

(3) ऐसे मामलों में जहां स्थाई पट्टे की अवधि के अंतिम वर्ष में उप कंडिका (2) के अनुसार नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता है,—

(क) प्राधिकृत अधिकारी पट्टावधि के अवसान होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत किए गये नवीनीकरण के आवेदन पर पट्टा नवीनीकरणयोग्य पाये जाने पर विलम्ब के लिए शमन राशि अधिरोपित करेगा;

(ख) विलम्ब के लिए अधिरोपित शमन राशि नियत किए जाने पर प्राधिकृत अधिकारी प्रकरण के पट्टे की शर्तों के उल्लंघन/अपालन का परीक्षण करते हुए नवीनीकरण के लिए अग्रसर होगा.

(4) प्राधिकृत अधिकारी ऐसे स्थाई पट्टों के विषय में जिनकी अवधि का अवसान हो चुका है, के नवीनीकरण के लिए इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसरण में परीक्षण करते हुए स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही कर सकेगा.

(5) प्राधिकृत अधिकारी पट्टे के नवीनीकरण के लिए नजूल अधिकारी/तहसीलदार नजूल से निम्न बिन्दुओं की जांच कराएगा:—

(क) पट्टेदार द्वारा वार्षिक भू-भाटक जमा किया गया है और इस पर कोई बकाया शेष नहीं है. यदि शेष है तो कब से और वर्तमान तक बकाया राशि का विवरण.

(ख) पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का पालन किया गया है, यदि किन्हीं शर्तों का उल्लंघन या अपालन पाया जाता है तो उल्लंघन या अपालन का विवरण.

(ग) शर्त उल्लंघन/अपालन के मामले में चालू वर्ष की गाइड-लाइन की दर के आधार पर भू-खण्ड का मूल्यांकन.

(घ) भू-खण्ड का उपयोग विचारण के समय प्रचलित विकास योजना (मास्टर प्लान) में नियत प्रयोजन के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं.

(ङ) यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन कर शर्त उल्लंघन किया गया है तो ऐसी दशा में भू-खण्ड के पूर्ण या अंश भाग, जिसका भूमि उपयोग परिवर्तित किया गया है, के क्षेत्रफल के विवरण तथा किए जा रहे उपयोग अनुसार भू-खण्ड या अंश भाग का पृथक्-पृथक् चालू वर्ष की गाइड-लाइन की दर के आधार पर भू-खण्ड का मूल्यांकन.

(च) पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त के उल्लंघन/अपालन किए जाने पर ऐसे उल्लंघन/अपालन के मामले में सक्षम प्राधिकार से शमन स्वीकृत किया गया है अथवा नहीं. यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी के आदेश का विवरण.

(छ) ऐसा अन्य कोई बिन्दु जिसे प्राधिकृत अधिकारी उचित समझे.

(6) उपरोक्तानुसार प्राप्त जांच प्रतिवेदन का परीक्षण कर यदि प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि स्थाई पट्टे की शर्त का कोई उल्लंघन/अपालन नहीं हुआ है या शमन स्वीकृत हो चुका है और पट्टेदार पर कोई बकाया शेष नहीं है तो प्राधिकृत अधिकारी आगामी तीस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे का नवीनीकरण करेगा:

परन्तु पट्टे का नवीनीकरण करने के पूर्व प्राधिकृत अधिकारी वार्षिक भू-भाटक को पुनर्निर्धारित करेगा जो पट्टे पर अंतिम निर्धारित भू-भाटक का छः गुना होगा.

(7) स्थाई पट्टों की विभिन्न शर्तों में से किन्हीं शर्तों का उल्लंघन/अपालन प्रतिवेदित होने/पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी पट्टेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण का निराकरण करेगा.

(8) प्राधिकृत अधिकारी निम्न अनुसूची अनुसार शमन राशि लेकर पुनर्प्रवेश (re-entry) के अधिकार का त्यजन करते हुए शर्त उल्लंघन के मामलों का निराकरण कर सकेगा:—

अनुसूची

क्रमांक (1)	शर्त उल्लंघन/अपालन का स्वरूप (2)	शमन राशि (3)
1	पट्टावधि अवासन के बाद नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के मामले में विलम्ब माफी के लिए.	प्रत्येक वर्ष के लिए आदेश दिनांक को लागू गाइड-लाइन के आधार पर बाजार मूल्य की 0.1 प्रतिशत राशि. (विलम्ब की गणना पट्टा अवसान तिथि से की जाएगी)
2	देय दिनांक तक भू-भाटक की राशि जमा नहीं किए जाने के मामले में.	देय बकाया राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा बकाया राशि के 10 प्रतिशत के बराबर शास्ति.
3	पट्टे में उल्लेखित अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के मामले में (शमन स्वीकृत किए जाने पर पट्टेदार को निर्माण हेतु आगामी तीन वर्ष की अवधि स्वीकृत समझी जाएगी).	प्रति चूक वर्ष के लिए शमन राशि निर्धारण हेतु आदेश दिनांक को लागू गाइड-लाइन के आधार पर बाजार मूल्य की 0.05 प्रतिशत राशि. (चूक अवधि की गणना पट्टा निष्पादन की दिनांक से की जाएगी)
4	अंतरण की प्रतिबंधित अवधि के भीतर बिना समुचित अनुमति प्राप्त किए दान अथवा विक्रय द्वारा या अन्यथा	अंतरण दिनांक को लागू गाइड-लाइन के आधार पर और यदि तत्समय गाइड-लाइन लागू नहीं रही है तो उस वर्ष की बिक्री छांट के आधार

(1)	(2)	(3)
	(उत्तरजीविता के आधार पर नामांतरित को छोड़कर) भू-खण्ड अंतरित किए जाने की दशा में (अंतरणीय पट्टे के मामलों में ही शमन स्वीकृत किया जाएगा, अन्य मामलों में पुनर्प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी)	पर संगणित मूल्यांकन का 1 प्रतिशत राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज.
5.	भू-खण्ड का इस प्रकार अंतरण/अभिहस्तांकन किए जाने पर जिससे कि भू-खंड का विभाजन होता हो या भू-खंड का विभाजन किए जाने की दशा में (ऐसे प्रकरणों में तभी शमन किया जाएगा जबकि तत्समय प्रभावशील विकास योजना के अन्तर्गत भू-खंड का विभाजन अनुज्ञेय हो)	अंतरण दिनांक को लागू गाइड-लाइन के आधार पर और यदि तत्समय गाइड-लाइन लागू नहीं रही है तो उस वर्ष की बिक्री छांट के आधार पर संगणित मूल्यांकन का 1 प्रतिशत राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज.
6.	यदि प्रयोजन परिवर्तन की अनुमति तत्समय प्रवृत्त प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय है तो ऐसे मामलों में पट्टे में उल्लेखित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने की दशा में.	परिवर्तित प्रयोजन के लिये आदेश की दिनांक को लागू गाइड-लाइन के आधार पर वास्तविक परिवर्तित क्षेत्रफल के संगणित बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि लेकर और संगणित कुल बाजार मूल्य पर 7.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक भू-भाटक नियत करते हुए. (वास्तविक परिवर्तित क्षेत्रफल से तात्पर्य है भू-खंड का वह अंश जिसका प्रयोजन परिवर्तन किया गया है).
7.	प्रयोजन परिवर्तन के ऐसे मामले में जिनमें शर्त उल्लंघन का नोटिस दिए जाने पर परिवर्तित प्रयोजन में उपयोग बंद कर भू-खंड मूल प्रयोजन में उपयोग किये जाने की दशा में.	(1) मद 6 अनुसार निर्धारित किए जा सकने वाले भू-भाटक की बकाया राशि और उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी वसूल किया जाएगा; तथा (2) आदेश की दिनांक को लागू गाइड-लाइन के आधार पर बाजार मूल्य की 0.5 प्रतिशत राशि

(9) कंडिका (8) की अनुसूची की मद क्रमांक 1 एवं मद क्रमांक 3 के लिये 'एक वर्ष' से तात्पर्य है छः माह या अधिक की अवधि.

(10) कंडिका (8) की मद क्रमांक 6 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि,—

(क) आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भू-खण्ड में पट्टेदार द्वारा आवासीय उपयोग के साथ-साथ संरचना के 25 प्रतिशत से कम भाग का उपयोग स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा,—

(एक) चिकित्सीय परामर्श एवं विधिक परामर्श जैसे कार्य जो इसकी अर्हता रखता है, परामर्श कक्ष के रूप किया जाता है;

(दो) ट्यूशन कार्य हेतु किया जाता है; अथवा

(तीन) सिलाई-कढ़ाई, पापड़-बड़ी जैसे कुटीर उद्योग हेतु किया जाता है.

तो इसे प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जाएगा :

परन्तु संरचना या उसके किसी भाग का उपयोग कोटिंग क्लासेस जैसे कार्य हेतु अथवा बुटीक, ब्यूटी पार्रलर जैसे व्यवसाय के लिये उपयोग किया जाता है तो इसे वाणिज्यिक प्रयोजन माना जाएगा.

(ख) आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित भू-खण्ड पर निर्मित संरचना को यदि आवासीय प्रयोजन के लिये किराए दिया जाता है तो इसे प्रयोजन परिवर्तन नहीं माना जाएगा :

परन्तु संरचना के संपूर्ण अथवा अंश भाग का उपयोग चार कक्ष से अधिक वाले गेस्ट हाउस के रूप में किया जाता है तो इसे वाणिज्यिक प्रयोजन में परिवर्तन माना जाएगा.

(11) पट्टे की शर्तानुसार भू-खण्ड में यदि अनुमत आकार से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण किया गया है और ऐसे निर्माण के संबंध में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश एवं नगरीय निकाय की इस बाबत् लिखित अनुमति प्राप्त की गई है तो पट्टे की ऐसी शर्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.

(12) कंडिका (8) में उल्लेखित के सिवाय पट्टे में अंकित किसी अन्य शर्त के उल्लंघन की दशा में प्रकरण का परीक्षण कर कलेक्टर अपने प्रस्ताव सहित प्रतिवेदन, प्रकरण के निराकरण हेतु संभागायुक्त को प्रेषित करेगा, जो गुण-दोष के आधार पर निराकरण करेंगे.

(13) ऐसे मामलों में जिनमें मूल पट्टेदार की मृत्यु हो चुकी है और भू-अभिलेख में विधिवत् नामांतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है, उत्तराधिकारियों द्वारा सर्वप्रथम यथास्थिति उत्तरजीविता या वसीयत के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा. नामांतरण के उपरान्त ही इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी.

(14) ऐसे मामलों में जिनमें पट्टेदार द्वारा भू-खण्ड का विक्रय, दान या अन्यथा अंतरण किया गया है किन्तु भू-अभिलेख में विधिवत् नामांतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है, अंतरिती द्वारा नामांतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा. नामांतरण के उपरान्त ही इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी.

(15) ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि अवसान के बाद नवीनीकरण कराए बिना ही भू-खण्ड का अंतरण किया गया है, अंतरिती द्वारा नवीनीकरण चाहे जाने पर इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सर्वप्रथम मूल पट्टेदार के नाम कल्पित नवीनीकरण स्वीकार करते हुए, तद्क्रम में अंतरण के आधार पर अंतरिती के नाम से नवीनीकरण किया जाएग.

(16) ऐसे मामलों में जिनमें पट्टावधि के अवसान होने के बाद तीस वर्ष या उससे भी अधिक अवधि बीत चुकी है, इस कंडिका के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए मूल पट्टा की अवसान तिथि को तीस वर्ष के लिये कल्पित नवीनीकरण मान्य करते हुए तद्क्रम में आगामी तीस वर्ष के लिये पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, उपसचिव.